FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** देहरादून **P.S. (थाना):** सतकर्ता सेक्टर देहरादून **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0001 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 11/01/2024 03:46 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	11

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day (दिन): बुधवार **Date from (दिनांक से):** 10/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 10/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 7 **Time From (समय से):** 19:30 बजे **Time To (समय तक):** 19:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/01/2024 **Time (समय):** 03:46 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date and Time (दिनांक और समय):** 11/01/2024 03:46 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** दक्षिण, 120 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): चौकी शान्तरशाह ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** Pawan Kumar

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 29/01/1980

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Dehradun, कोतवाली देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
2	वर्तमान पता	सतर्कता सेक्टर देहरादून , सतकर्ता सेक्टर देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
3	स्थायी पता	सतर्कता सेक्टर देहरादून , सतकर्ता सेक्टर देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 0

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent address (स्थाई पता)
1	पीआरडी सुरेन्द्र कुमार		पिता का नाम : जखपाल	1. चौकी शान्तरशाह,बहादराबाद,हरिद्वार,उत्तराखंड,भारत	1. टिक्कमपुर,बहादराबाद,हरिद्वार,उत्तराखंड,भारत
2	उ.नि. पंकज कुमार		पिता का नाम : सोबन सिह	1. चौकी शान्तरशाह,बहादराबाद,हरिद्वार,उत्तराखंड,भारत	1. पापली,कीर्ती नगर,टिहरी गढ़वाल,उत्तराखंड, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature of Property (संपत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	INVOLVED IN A CASE/CRIME	अभियुक्त को 30000 रुपये उत्कोच धनराशी बरामद होना	30,000.00

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल पोस्ट ट्रैप मैमो (POST TRAP MEMORANDUM)फर्द गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त व बरामदगी

उत्कोच धनराशी रुपये 30,000/- (तीस हजार रुपये) आज दिनांक 10-01-2024 को मैं ट्रैप प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार मय निरीक्षक पंकज पोखरियाल, आरक्षी श्री अनूप रावत, आरक्षी श्री अशोक कुमार, म0आरक्षी मन्सा मय स्वतन्त्र गवाह श्री कंवर पाल पुत्र श्री राम सिंह, सहायक अभियन्ता, मानव संसाधन, यू0पी0सी0एल0 ऊर्जा भवन, देहरादून तथा श्री भारत सिंह रावत पुत्र श्री गोविन्द सिंह रावत, कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून मय सरकारी वाहन संख्या-यू0के0-07जी0ए0-1755 चालक एच0सी0एम0टी0 किरन कुमार एवं संख्या-यू0के0-07-टी0बी0-7918 चालक अंकुर व शिकायतकर्ता मोहतसीम के पी0डब्लू0डी0 गैस्ट हाऊस से चलने से पूर्व पोस्ट ट्रैप कार्यवाही हेतु 03 टीमों का गठन किया गया, जिसमें प्रथम टीम में शिकायतकर्ता मौ0 मोहतसीम व शैडो विटनेश श्री कंवर पाल (स्वतन्त्र गवाह), शिकायतकर्ता के अपने वाहन स्वीप्ट कार से जिसका नम्बर यू0के0 07-ए एक्स- 1526, दूसरी टीम में, मैं टीम प्रभारी मय आरक्षी अशोक कुमार व रिकवरी विटनेस भारत सिंह रावत (स्वतन्त्र गवाह) मय सरकारी वाहन यू0के0-07-टी0बी0-7918 चालक अंकुर तथा तीसरी टीम में निरीक्षक पंकज पोखरियाल मय आरक्षी अनूप रावत व म0आरक्षी मन्सा मय सरकारी वाहन यू0के0-07जी0ए0-1755 चालक एच0सी0एम0टी0 किरन कुमार रहे। मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा समस्त टीम को हिदायत मुनासिब की गयी और बताया गया कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर चलते हुये नजरी लगाव रखेगें। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि दरोगा जी पंकज बहुत चालाक है और हो सकता है सब के सामने रिश्वत की धनराशि नही लेगा व अजनबी लोगों को देखकर शक होने पर उनसे पूछताछ कर सकता है। अतः सभी को हिदायत की गयी कि सावधानी बरतते हुये काम को अन्जाम देंगे। समय करीब 16.10 बजे ट्रैप टीम मय शिकायतकर्ता मय स्वतन्त्र गवाहों के पी0डब्लू0डी0 गैस्ट हाऊस, रुड़की से उक्त वाहनो से चलकर चौकी शान्तरशाह, थाना बहादराबाद से करीब 100 मी0 पहले पहुंचे। प्रथम टीम को चौकी शान्तशाह भेजा गया तथा दूसरी टीम व तीसरी टीम द्वारा अपने वाहनों को हरिद्वार की तरफ जाते हुए चौकी शान्तरशाह से करीब 100 मी0 पहले मुख्य सड़क मार्ग पर छोड़कर पैदल-पैदल सड़क पार कर चौकी के आस-पास आड़ लेकर खड़े हो गये व देखा कि शिकायतकर्ता चौकी के अन्दर दरोगा पंकज से मिलने चला गया है और शेडो विटनेस श्री कंवर पाल चौकी के बाहर शिकायतकर्ता पर नजर रखते हुए खड़े है। सभी टीम के सदस्य शेडो विटनेश से नजरी दूरी बनाते हुए खड़े है व शेडो विटनेश के इशारा करने का इन्तजार करने लगे। कुछ देर बाद शैडो विटनेश ने अपनी टोपी उतारकर इशारा किया जिसपर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा दूसरी व तीसरी टीम के साथ मौके पर चौकी शान्तरशाह पहुंचे तो शिकायतकर्ता मौ0 मोहतसीम व शैडो विटनेश वर्दी पहने एक व्यक्ति के साथ खड़े है, जिसपर शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि मैं दरोगा पंकज से उनके चौकी कार्यालय में मिला तो दरोगा पंकज ने मुझसे पूछा कि जो कल बोला था वो ले आया शिकायतकर्ता के हां कहने पर अन्य बाते करते हुए व पुनः मुझे कोर्ट कचहरी का भय दिखाते हुए व बाद में यह कहा कि चलो ठीक है हो जायेगा तथा बाहर सुरेन्द्र को पैसे गिनकर देने के लिए कहा व सुरेन्द्र को आवाज दी और उसे कहा कि इनसे बाहर मिल लेना। दरोगा पंकज के कहें अनुसार मैने सुरेन्द्र को जो पुलिस की वर्दी पहने है 30,000/-रुपये रिश्वत के मांगने पर दे दिये है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि यह वही व्यक्ति सुरेन्द्र है जिसे मैने दरोगा पंकज के कहने पर रिश्वत के 30,000/-रुपये दरोगा पंकज के सामने ही दिये है। जिन्हें इसने गिनकर अपनी पहनी पेंन्ट की बांयी जेब में रख लिये है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि दरोगा पंकज सर अभी यह देखकर कि सुरेन्द्र और मेरी तरफ आप लोग तेजी से आ रहे हैं वह चौकी से रिश्वत के लेन-देन के उपरान्त तुरन्त चले गये हैं, जिस पर मौके पर मौजूद पुलिस की वर्दी पहने कर्मी जिसका नाम सुरेन्द्र बताया गया से पूछताछ करते हुए समय करीब 17:05 बजे चौकी से लगे हुये भोजनालय के बाहर पकड़ लिया, जिसके दाहिने हाथ की कलाई को आरक्षी अनूप रावत व बाँये हाथ की कलाई को आरक्षी अशोक कुमार ने पकडा। सुरक्षा की दृष्टि से पकड़े गये व्यक्ति को ट्रैप टीम मय स्वतन्त्र गवाह के चौकी के अन्दर उपनिरीक्षक कार्यालय कक्ष में पोस्ट ट्रैप की कार्यवाही हेतु लेकर आये। शिकायतकर्ता मौ0मोहतसीम को उपलब्ध कराये गये वाईस रिकार्डर को निरीक्षक

पंकज पोखरियाल द्वारा कब्जे में लेकर स्विच आफ किया गया। मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा अपना परिचय देते हुए पकड़े गये व्यक्ति श्री सुरेन्द्र कुमार को बताया गया कि आपके द्वारा शिकायतकर्ता से उत्कोच की धनराशि 30,000/-रुपया ग्रहण की है। मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र जगपाल सिंह निवासी ग्राम टिक्कमपुर पो0 सुल्तानपुर, थाना- लक्सर, जिला हरिद्वार हाल तैनाती पी0आर0डी0 चौकी शान्तशाह, थाना बहादराबाद, जिला हरिद्वार उम्र करीब 39 वर्ष बताया। आरोपी के विरुद्व अग्रिम कार्यवाही हेतु मेरे द्वारा अपने मो0फोन से पुलिस अधीक्षक सतर्कता सैक्टर देहरादून श्रीमती रेनू लोहानी को समस्त विवरण से अवगत कराया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त सुरेन्द्र द्वारा रिश्वत की धनराशि 30,000/-रुपये लेकर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी पेन्ट की बांयी जेब में रखी गयी है व मेरे यह कहने पर कि कुछ कम कर लो तो उसके द्वारा यह बताया गया है कि दरोगा जी से बात कर लो यह भी कहा गया था। मौके पर स्वतन्त्र गवाह श्री भारत सिंह रावत द्वारा रिकवरी विटनेश के तौर पर आरोपी सुरेन्द्र के पहनी पेन्ट के जेब से रिश्वत की धनराशि 30,000/-रुपये जो कि 500/-रुपये के वही 60 नोट है जिनका सिरियल नं0 दोनों स्वतन्त्र गवाहों द्वारा चैक करने पर वहीं पाया गया जो कि प्री-ट्रैप में अंकित किया गया है, जो निम्नवत

हैः-8

WF2183579RF4577837CE3624385NH9170288FD6446671AB5634937PM0386657GT0401743KL7092694
RQ1661588PC1587018FC6345308MW1638192HA8251333GF7395694AD5871278FH7608171RP5907358
FC0718272MH9104487SG0140448AS8878285PS8435163TP3361383SE5805020AP7784865TU0656511K
G2644962WU4056316QQ0044712NU1398480UB2846503KV9516661TV7610398MG9906318SQ3973268
QR9257538QR9258548EG3536519MT8702483VW9277300DW1995587HK0006014BP4275145FM171883
1SE1826186PL8289506EU9876842FC4047856EN8870794CC1292029RM4040115AQ2294206FR8816295
QR3342508SL1626745PK7796183QK7892530NQ6796033PF022686बरामदा नोट जो कि फिनाफ्थलीन पाउडर लगे है, को आरोपी से बरामद कर स्वतन्त्र गवाह से लेकर एक पीले लिफाफे में रखकर सील सर्वे मौहर कर नमूना मोहर बनाया गया व लिफाफे पर विवरण अंकित करते हुए ट्रैप टीम, स्वतन्त्र गवाहान, आरोपी व शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर कराये गये, जिस पर प्रदर्श R-1 अंकित किया गया। हाथ धोवन कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।जिसके लिए आरक्षी अशोक कुमार से साफ काँच के गिलास में साफ पानी मंगाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसका घोल तैयार कर आरोपी सुरेन्द्र कुमार के दोनों हाथों की उगलिंयों को धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, इस घोल को कांच की शीशी में रखकर ढक्कन बन्द कर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी की गयी तथा नमूना मोहर तैयार किया गया, जिस पर सभी ट्रैप टीम के सदस्यों व स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता व अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये, जिस पर प्रदर्श R-2 अंकित किया गया। पुनः आरक्षी अशोक कुमार से एक गिलास में साफ पानी भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसका घोल तैयार कर शिकायतकर्ता स्वतन्त्र गवाह रिकवरी विटनेश श्री भारत सिंह रावत के हाथ की उगलिंयों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो सोडियम कार्बोनेट के रंगहीन घोल में हाथ डुबोने पर रंग हीन पानी का रंग गुलाबी हो गया। इस गुलाबी रंग के घोल को भी साफ काँच की शीशी में रखकर ढक्कन बन्द कर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी की गयी तथा नमूना मोहर तैयार किया गया, जिस पर ट्रैप टीम के सभी सदस्यों व स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता व आरोपी के हस्ताक्षर बनवाये गये। जिस पर प्रदर्श R3 अंकित किया गया। इसके उपरान्त पुनः आरक्षी अशोक कुमार से गिलास में एक साफ कांच की गिलास में साफ पानी भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसका घोल तैयार कर शिकायतकर्ता के हाथ की उगलिंयों को धुलवाया गया तो सोडियम कार्बोनेट के रंग हीन घोल में हाथ डूबोने पर रंगहीन पानी का रंग गुलाबी हो गया इस गुलाबी रंग के घोल को साफ काँच की शीशी में रखकर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी कर नमूना मोहर तैयार किया गया, जिस पर सभी ट्रैप टीम के सदस्यों व स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता व आरोपी के हस्ताक्षर बनवाये गये । जिस पर प्रदर्श R4 अंकित किया गया। आरोपी सुरेन्द्र कुमार से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि मैं इस चौकी पर करीब 02 महीने से तैनात हूं।

दरोगा पंकज सर के बुलाने पर मैं दरोगा पंकज के कार्यालय कक्ष में गया था जहां पर उनके सामने कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था। दरोगा पंकज सर ने मुझसे कहा कि तुम इनसे मिल लेना बाहर जाकर। जिस पर मैं कुर्सी में बैठे व्यक्ति के साथ इस चौकी के भोजनालय के बाहर आया तो उस व्यक्ति ने मुझे 30,000/- रुपये 500-500 के नोट दिये गये, जो कि मैने गिने थे, मुझे पता था कि यह पैसे दरोगा पंकज द्वारा इस व्यक्ति से उनके द्वारा किसी जांच में रिश्वत के तौर पर लिये जा रहै है, जो कि चौकी पर इस समय अन्य लोगों की भी आवाजाही होने के कारण उन्होनें स्वयं नही लिये थे। इन रुपयों को मैने दरोगा पंकज कुमार को देने थे, परन्तु तभी आप लोगों ने आकर मुझे पकड़ लिया और आपको मेरी तरफ आते देख दरोगा जी को शक होने पर चौकी से भाग गये है। तत्पश्चात हमराही स्वतन्त्र गवाह रिकवरी विटनेश श्री भारत सिहं रावत से पकडे व्यक्ति की पूर्ण जामा तलाशी लिवाई गयी तो उत्कोच धनराशि 30,000/-रुपये के अलावा इसकी पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से 500 रुपये के 02 नोट, 50 रुपये के 01 नोट, 10 रुपये के 01 नोट कुल 1,060/-रुपये भी बरामद हुये।अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार उपरोक्त का यह जुर्म धारा 7/11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधि0 2018) की हद तक पहुंचता है। अतः आरोपी सुरेन्द्र कुमार उपरोक्त को इसके जुर्म से अवगत कराते हुये समय करीब 19:30 बजे चौकी शान्तरशाह, थाना बहादराबाद के उपनिरीक्षक कार्यालय से हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी मैमो मौके पर तैयार कर ट्रैप टीम के सभी सदस्यों, स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता तथा आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा गिरफ्तारी की सूचना हस्व ख्वाहिस अभियुक्त के इसकी पत्नी श्रीमती कविता को उसके मो0नं0 8439519564 पर आरक्षी अशोक कुमार द्वारा अपने मो0नं0 9411191403 से समय करीब 20:40 बजे दी गयी। तत्पश्चात शिकायतकर्ता मौ0 मोहतसीम को दिये गये आडियो रिकोर्डर सोनी रंग काला जिसका सीरियल न0 10988106 मय नया मैमोरी कार्ड SANDISK ultra 32 जी0वी0 को सरकारी लैप टाप पर लगाकर उसमें लगे एस0डी0 कार्ड SANDISK अल्ट्रा 32 जी0वी0 में मौजूद उत्कोच के लेनदेन से सम्बन्धित वार्तालाप की रिकोर्डिग को स्वतन्त्र गवाहान, समस्त ट्रैप टीम ,शिकायतकर्ता व अभियुक्त के समक्ष सुना गया, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आवाज, दरोगा पंकज कुमार करी आवाज व अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार की आवाज को तस्दीक किया गया। रिकार्डिग में शिकायतकर्ता व दरोगा पंकज कुमार के बीच के वार्तालाप में दरोगा पंकज कुमार द्वारा आरोपी पी0आर0डी0 सुरेन्द्र कुमार को आवाज देकर बुलाना व शिकायतकर्ता से मिल लेना व शिकायतकर्ता से आरोपी सुरेन्द्र कुमार को गिनकर उत्कोच धनराशि देना सम्बन्धी वार्ता व आरोपी सुरेन्द्र द्वारा उत्कोच राशी ग्रहण कर उत्कोच राशी को गिनना व शिकायतकर्ता के कुछ कम कर लो कहने पर

दरोगा जी से बात करने के लिए कहना सम्बन्धी सुरेन्द्र कुमार का भी वार्तालाप रिकार्ड हुआ है। लैपटाप पर रिकार्डर में हुयी रिकार्डिग का पाथ H: PRIVATE/SONY/REC-FILE/FOLDER-01-240110-1647 Size-34.3MB Created-10 Janaury 2024 16:478:14 पाया गया। उत्कोच सम्बन्धी रिकार्डेड वार्तालाप फाईल की कापी कर सरकारी लैपटाप पर अग्रेत्तर विवेचना हेतु सुरक्षित की गयी वह रिकार्डर में से मैमौरी कार्ड SanDisk 32 जी0बी0 को निकालकर एक प्लास्टिक के मैमोरी कार्ड के सांचे में रखकर सिल्वर फोयल में लपेटकर पीले रंग के लिफाफे में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया विवरण लिफाफे पर अंकित किया गया, जिस पर ट्रैप टीम के समस्त सदस्यों, स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता व आरोपी के हस्ताक्षर बनवाये गये। जिस पर प्रदर्श R-5 अंकित किया गया।शिकायतकर्ता के प्रकरण से सम्बन्धित एफ0आई0आर0 की कापी चौकी कार्यालय में मौजूद मुख्य आरक्षी 288 भूपेन्द्र द्वारा प्रमाणित प्रति के रुप में उपलब्ध करायी गयी, जो 03 वर्क में है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि थाना बहादराबाद, जिला हरिद्वार में दिनांक 02-09-2023 को मु0अ0सं0- 350/2023 धारा 323,504,506आई0पी0सी0 बनाम 1- मौहतसीन 2-फय्याज 3-आस मौम्मद 4- इस्तखार पंजीकृत हुआ है, जिसमें जांच अधिकारी का नाम पंकज कुमार उपनिरीक्षक /अवर निरीक्षक अंकित है। उक्त एफ0आई0आर0 में नम्बर-01 पर शिकायतकर्ता मौ0 मोहतसीन

पुत्र मुन्तयाज निवासी ग्राम रतनपुर बहादराबाद, हरिद्वार अंकित है। उक्त एफ0आई0आर0 को विवेचना के दृष्टि से कब्जे पुलिस लिया गया। मुख्य आरक्षी बताया गया कि थाना अभिलेखों में उपनिरीक्षक पंकज कुमार का नाम पता पंकज कुमार पुत्र सोबन सिंह ग्राम पापली, जौराहा, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल अंकित है, जिन्हें सम्पर्क किया जा रहा है परन्तु उनका मो0 नं0-7505802189 लगातार स्वीच आफ आ रहा है, जो आपके द्वारा सुरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार करने के समय चौकी से अचानक कहीं चले गये है, जिसकी मुझे जानकारी नही है कि कहां चले गये है। थानाध्यक्ष बहादराबाद उपनिरीक्षक नरेश राठौर को उनके मो0नं0 8979680585 पर निरीक्षक पंकज पोखरियाल के द्वारा अपने मो0नं0 -9012281743 से अभियुक्त पी0आर0डी0 सुरेन्द्र कुमार की गिरफ्तारी व उपनिरीक्षक पंकज कुमार के चौकी से चले जाने के सम्बन्ध में व उत्कोच राशी बरामदगी की जानकारी दी गयी व उपनिरीक्षक पंकज कुमार को मौके पर उपस्थित होने हेतु अवगत कराने के लिए कहा गया, जो अब तक चौकी पर नहीं आया है। सम्पूर्ण कार्यवाही शिकायतकर्ता की तहरीर, प्रारम्भिक जांच एवं फर्द बरामदगी उत्तकोच धनराशी से प्रथम दृष्टिया उपनिरीक्षक पंकज कुमार व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार का जुर्म धारा 7/11 भ्र0नि0अधि0 1988 संशोधित अधि0 2018 का होना पाया गया। फर्द बरामदगी म0कानि0 मन्सा से बोल बोलकर सरकारी लैपटाप पर टाईप करवाई गयी, जिसे पढ़कर समस्त ट्रैप टीम, स्वतन्त्र गवाहों, आरोपी व शिकायतकर्ता को सुनवाया गया फर्द की प्रिन्ट कापी प्रिन्टर के माध्यम से निकाली गयी व हस्ताक्षर कराये गये। ट्रैप की कार्यवाही दिनांक 10-01-2024 समय 11 :15 बजे तक समाप्त की जाती है । सभी ट्रैप टीम के सदस्यों, स्वतंत्र गवाहान व शिकायतकर्ता तथा आरोपी के नाम व पदनामः- sd अपठित पवन कुमार निरीक्षक सतर्कता सैक्टर देहरादून। sd अपठित पंकज पोखरियाल निरीक्षक सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय देहरादून। sd अपठित म0कानि0 मन्सा सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय देहरादून। sd अपठित कानि0 अनूप रावत सतर्कता सैक्टर देहरादून। sd अपठित कानि0 अशोक कुमार सतर्कता सैक्टर देहरादून sd अपठित श्री भारत सिंह रावत कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून स्वतन्त्र गवाह sd अपठित श्री कंवर पाल सहायक अभियन्ता, मानव संसाधन, यू0पी0सी0एल0 ऊर्जा भवन, देहरादून (स्वतंत्र गवाह)। sd अपठित मोहतसीम मोहतसीम शिकायतकर्ता निवासी रतनपुर, थाना बाहदराबाद, जिला हरिद्वार सुरेन्द्र कुमार पुत्र जखपाल सिंह निवासी ग्राम टिक्कमपुर पो0 सुल्तानपुर, थाना- लक्सर, जिला हरिद्वार हाल तैनाती पी0आर0डी0 चौकी शान्तशाह, थाना बहादराबाद, जिला हरिद्वार नोट- फर्द की नकल अभियुक्त को देकर हस्ताक्षर करवाये जाते है । sd सुरेन्द्र कुमार सुरेन्द्र कुमार पी0आर0डी0 चौकी शान्तरशाह थाना बहादराबाद sd अपठित पवन कुमार निरीक्षक /प्रभारी ट्रैप टीम सतर्कता अधिष्ठान देहरादून

नोट मै अ.उ.नि. रघुवीर सिह प्रमाणित करता हुँ कि नकल फर्द (पोस्ट ट्रेप मैमो) को नकल चिक पर शब्द व शब्द टकण की गयी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Manoj Rawat **Rank (पद):** निरीक्षक

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RENU LOHANI

Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendant of Police)

No. (सं.):

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1985		-		**चेचक:** नहीं
2	पुरुष	1980		-		**चेचक:** नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** देहरादून **P.S. (थाना):** सतकर्ता सेक्टर देहरादून **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 25/01/2024 04:59 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day (दिन): बुधवार **Date from (दिनांक से):** 24/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 24/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 7 **Time From (समय से):** 20:00 बजे **Time To (समय तक):** 20:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/01/2024 **Time (समय):** 04:03 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date and Time (दिनांक और समय):** 25/01/2024 04:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** दक्षिण, 120 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): शशीधर स्पोर्ट स्टेडियम ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(a) **Name (नाम):** Tushar Bora

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 16/07/1975

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Dehradun, कोतवाली देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
2	वर्तमान पता	सतर्कता सेक्टर देहरादून , सतकर्ता सेक्टर देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
3	स्थायी पता	Dehradun, कोतवाली देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 0

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent address (स्थाई पता)
1	महेश्वर सिह नेगी		पिता का नाम : पूरण सिह नेगी	1. रतन पुर,कोतवाली कोटद्वार,पौड़ी गढ़वाल,उत्तराखंड,भारत	1. ग्राम दोहरी वकील,काशीपुर,उधम सिंह नगर,उत्तराखंड,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature of Property (संपत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	INVOLVED IN A CASE/CRIME	अभियुक्त को 10000 रुपये उत्कोच धनराशी के साथ गिरफ्तार किया जाना	10,000.00

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल पोस्ट ट्रैप मैमौ (POST TRAP MEMORANDAM)फर्द गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त व बरामदगी उत्कोच धनराशि रू0 10,000/ (दस हजार रूपये):- आज दिनांक 24-01-2024 को समय करीब 16:30 बजे मुझ ट्रैप टीम प्रभारी निरीक्षक तुषार बोरा के निर्देशन में सिताबपुर, देवी रोड, कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल स्थित मिक्स ग्राण्ड होटल में प्री-ट्रैप कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त शिकायतकर्ता श्री तेजेन्द्र रावत के निर्देश पर समय करीब 17:45 बजे होटल से रवाना होकर विभाजित तीनों टीमें, जिसमें शिकायतकर्ता अपनी निजी मोटर साइकिल से नम्बर यूके 12बी-5577 से तथा शेष सभी टीम सदस्य सरकारी वाहन संख्या यूके 07 जीए-2398 चालक उमेश ध्यानी व वाहन संख्या यूके-07एफएम-6889 चालक बतुल कुमार के रवाना होकर शशिधर भट्ट स्पोर्टस स्टेडियम कोटद्वार के बाहर गाडी घाट झूला पुल के पास करीब 18:00 बजे पहुंचे। दोनों वाहन मय चालक व ट्रैप किट को वहीं छोडकर समस्त टीम, शिकायतकर्ता व शैडो विटनेस से कुछ दूरी बनाते हुए अपनी उपस्थिति छिपाते हुए पैदल पैदल स्टेडियम के आस-पास खड़े हो गये। शिकायतकर्ता शैडो विटनेस को अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया तथा स्टेडियम से कुछ दूरी पहले छोडकर स्टेडियम के प्रशासनिक भवन तक आया तथा अपनी मोटरसाइकिल को पार्किंग में खडी कर स्टेडियम के मैदान में मौजूद सरकारी हकी कोच श्री महेश्वर सिंह नेगी के पास गया। समस्त ट्रैप टीम मय स्वतन्त्र गवाहों के मैदान में खेल रहे अन्य खिलाडियों के मध्य अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मैदान में मौजूद कोच श्री महेश्वर सिंह नेगी एवं शिकायतकर्ता श्री तेजेन्द्र रावत के करीब पहुंच कर उनके मध्य हुई वार्ता को सुनने व देखने का प्रयास करने लगे। कोच श्री महेश्वर नेगी ने शिकायतकर्ता से कहा कि कल मैंने तुमसे जो रूपये लाने को कहा था, वो रूपये लाये हो, इस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि आपसे फोन पर हुई वार्ता के अनुसार अभी मैं सिर्फ 10,000/- रूपये ही लाया हूँ, बाकी के 7,000/- रूपये पहले से ही तय समय के अनुसार दिनाक 26.01.2024 तक दे दूँगा। इतना कहकर शिकायकर्ता श्री तेजेन्द्र रावत ने अपनी पहनी

जैकेट की बायीं जेब से उत्कोच धनराशि 10,000/- रूपये निकालकर कोच श्री महेश्वर सिंह नेगी को दे दिये। जिसे उसने अपने पहने ट्रैक सूट के अपर की बायीं जेब में रख लिये। इस कार्यवाही को समस्त ट्रैप टीम व स्वतन्त्र गवाह ने देखा व सुना तथा पूर्ण विश्वास हो गया कि कोच श्री महेश्वर नेगी ने शिकायतकर्ता श्री तेजेन्द्र रावत से उत्कोच धनराशि 10,000/-रूपये ग्रहण कर ली है। इस पर ट्रैप टीम द्वारा एकदम घेरघोंट कर समय करीब 18:30 बजे कोच श्री महेश्वर सिंह नेगी को स्टेडियम के मैदान में पकड लिया, हेकां अश्वनी शर्मा द्वारा आरोपी को दाहिने हाथ से तथा का अशोक द्वारा आरोपी को बायें हाथ से पकडे जाने के पश्चात मुझ ट्रैप टीम प्रभारी द्वारा अपना व अपनी समस्त टीम का परिचय देते हुए कोच श्री महेश्वर सिंह नेगी से उनका पूरा नाम व पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम महेश्वर सिंह नेगी उम्र करीब 35वर्ष पुत्र श्री पूरन सिंह नेगी हाल किरायेदार श्री मनोज तिवारी का मकान रतनपुर कुम्भीचौड निकट एसबीआई बैंक थाना कोटद्वार, जिला पौडी गढवाल मूल निवासी ग्राम दौहरी वकील पोओ कुण्डेश्वरी थाना काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर बताया। इसी दौरान मौके पर 1-श्री श्याम सिंह डांगी पुत्र श्री मदन सिंह डांगी (बक्सिंग कोच) शशिधर भट्ट स्पोर्टस स्टेडियम कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल 2-श्री महेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व श्री रघुनाथ सिंह रावत (फुटबाल कोच) शशिधर भट्ट स्पोर्टस स्टेडियम कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल 3-श्री वीरेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व श्री शिवचन्द (पीआरडी जवान) शशिधर भट्ट स्पोर्टस स्टेडियम कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल उपस्थित हुए। रिकवरी विटनेस श्री पुष्कर सिंह पोखरिया द्वारा समस्त ट्रैप टीम, शिकायतकर्ता एवं उपस्थित मौका गवाहान व शिकायतकर्ता के समक्ष आरोपी श्री महेश्वर नेगी की जामा तलाशी ली गई, तो आरोपी के द्वारा पहने ट्रैक सूट के अपर की बायीं जेब से भारतीय मुद्रा के 500/-रूपये के 20 सरकारी नोट कुल 10,000/-रूपये बरामद हुये। बरामद धनराशि का मिलान रिकवरी विटनेस श्री पुष्कर सिंह पोखरिया द्वारा प्री-ट्रैप की कार्यवाही के दौरान अंकित सरकारी नोटों के नम्बर से किया गया तो बरामद धनराशि प्री-ट्रैप मैमोरेंडम में अंकित नोटों के अनुसार सही पाया गया। बरामद भारतीय मुद्रा के सरकारी नोटों पर अंकित नम्बर निम्नवत है:- ,OPV690937, OPV690941, OPV690938, OPV690939, OPV690940, OPV690942, OPV690943, OPV690944, OPV690945, OPV690946,OPV690947,OPV690948, OPV690949, OPV690953, OPV690950, OPV690954 , OPV690951, OPV690955, OPV690952, OPV690956इसी दौरान तलबशुदा दोनों सरकारी वाहन भी मौके पर आ गये। सरकारी वाहन से ट्रैप किट निकालकर बरामदा उक्त उत्कोच धनराशि 10,000/-रूपये को एक पीले लिफाफे में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार कर समस्त ट्रैप टीम, स्वतंत्र गवाहों, शिकायकर्ता, ट्रैप की कार्यवाही के दौरान मौजूद तीनों मौका गवाहों तथा अभियुक्त श्री महेश्वर सिंह नेगी के हस्ताक्षर करवाये गये, जिस पर प्रदर्श-R-1 अंकित किया गया।बरामद उत्कोच धनराशि के सम्बन्ध में पूछने पर आरोपी श्री महेश्वर सिंह नेगी ने बताया कि यह 10,000/-रूपये कोच तेजेन्द्र रावत ने मुझे अभी-अभी दिये हैं, जो आपको मेरी जेब से बरामद हुए हैं। मुझ ट्रैप टीम प्रभारी द्वारा ट्रैप किट में रखे कांच के एक साफ गिलास में साफ पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर रंगहीन घोल बनाया गया और उस घोल में आरोपी श्री महेश्वर सिंह नेगी के दोनो हाथो की अंगुलियों को डुबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, इस घोल को कांच की एक साफ शीशी में रखकर ढक्कन लगाकर सील सर्व मोहर किया गया चिटबन्दी तथा नमूना मोहर बनाया गया, जिस पर प्रदर्श-R-2 अंकित किया गया।तत्पश्चात पुनः मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा कांच के एक साफ गिलास में साफ पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर रंगहीन घोल बनाया गया ओर उस घोल में शिकायतकर्ता श्री तेजेन्द्र रावत के दोनो हाथो की अंगुलियों को डुबाकर घुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया इस घोल को कांच की एक साफ शीशी में रखकर ढक्कन लगाकर सील सर्वे मोहर किया गया चिटबन्दी तथा नमूना मोहर बनाया गया। जिस पर प्रदर्श-R-3 अंकित किया गया। तदोपरांत पुन कांच के एक साफ गिलास में साफ पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर रंगहीन घोल बनाया गया और उस घोल में स्वतंत्र गवाह श्री पुष्कर सिंह पोखरिया (रिकवरी विटनेस) के दोनो हाथो की अंगुलियों को डुबाकर धुलवाया

गया, तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, इस घोल को कांच की एक साफ शीशी में रखकर ढक्कन लगाकर सील सर्व मोहर किया गया, चिटबन्दी तथा नमूना मोहर बनाया गया। जिस पर प्रदर्श-R-4 अंकित किया गया। दौराने कार्यवाही स्टेडियम के मैदान में अंधेरा होने एवं प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था न होने के कारण मैं ट्रैप प्रभारी मय समस्त ट्रैप टीम एवं मौके के गवाहों, शिकायतकर्ता तथा पकडे गये आरोपी श्री महेश्वर सिंह नेगी को लेकर स्टेडियम के प्रशासनिक भवन में स्थित स्टेडियम प्रभारी के खुले हुए कक्ष में आया, आरोपी ने बताया कि स्टेडियम प्रभारी राजकीय कार्यों हेतु पौडी गये हैं। अतः उक्त कक्ष में ही पोस्ट ट्रैप मैमोरैण्डम की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। स्टेडियम के मैदान में उक्त कार्यवाही के दौरान तीनों सील बन्द कांच की शीशियों की चिटबन्दी व नमूना मोहरों पर मुझ ट्रैप टीम प्रभारी सहित समस्त ट्रैप टीम, दोनो स्वतंत्र गवाह, शिकायतकर्ता एवं मौके के गवाहों व आरोपी ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये।अभियुक्त महेश्वर सिंह नेगी उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र श्री पूरन सिंह नेगी हाल किरायेदार श्री मनोज तिवारी का मकान रतनपुर कुम्भीचौड निकट एसबीआई बैंक थाना कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल मूल निवासी ग्राम दौहरी वकील पोओ कुण्डेश्वरी थाना काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर का यह अपराध जुर्म धारा 7 भ्रनिअधि 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की हद को पहुचता है। अतः अभियुक्त महेश्वर सिंह नेगी उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए हस्व जाफता समय करीब 20:00 बजे गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त की गिरफ्तारी मेमो एवं सूचना मेमो मौके पर तैयार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना मुझ ट्रैप टीम प्रभारी ने अपने मोबाईल नम्बर 9897730325 से अभियुक्त की पत्नी श्रीमती तन्नू नेगी के मोबाईल नम्बर 7017616672 पर समय करीब 20:45 बजे दी गई। पोस्ट-ट्रैप की कार्यवाही समय 22:15 बजे समाप्त हुई। फर्द मौके पर शशिधर भट्ट स्टेडियम के प्रशासनिक भवन में स्थित स्टेडियम प्रभारी के कक्ष में मुझ ट्रैप टीम प्रभारी द्वारा अपर उप निरीक्षक दिवाकर शर्मा को बोल बोल कर सरकारी लैपटप पर टाईप करवाकर सरकारी प्रिन्टर से प्रिन्ट निकालकर फर्द का मजबून हमराही ट्रैप टीम के सदस्यों, दोनो स्वतंत्र गवाहों, मौका गवाहों एवं शिकायतकर्ता श्री तेजेन्द्र रावत को पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान कराई जाती हैं। sd तुषार बोरा, निरीक्षक, 24/1/2024 सतर्कता अधिष्ठान देहरादून। (ट्रैप टीम प्रभारी) sd मनोज नैनवाल, निरीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान देहरादून। sd दिवाकर शर्मा अपर उप निरीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान देहरादून। sd अश्वनी शर्मा मुख्य आरक्षी,सतर्कता अधिष्ठान देहरादून। sd अशोक कुमार आरक्षी, सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून sd पुनम महिला आरक्षी सतर्कता अधिष्ठान देहरादून। sd तेजेन्द्र रावत पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी देवी नगर, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल। (शिकायतकर्ता) sd श्री ओम प्रकाश सिह मुख्य उद्यान अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग हरिद्वार, (स्वतन्त्र गवाह)sd पुष्कर सिह पोखरिया जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितिया हरिद्वार sd श्री श्याम सिंह डांगी पुत्र श्री मदन सिंह डांगी (बक्सिंग कोच) शशिधर भट्ट स्पोर्टस स्टेडियम कोटद्वार, पौडी गढ़वाल। (मौका गवाह) sd महेन्द्र सिह रावत पुत्र श्री रघुनाथ सिह रावत (फुटबाल कोच) शशीधर भट्ट स्टेडियम कोटद्वार पौड़ीगढ़वाल (मौका गवाह)श्री वीरेन्द्र प्रशाद पुत्र शिवचन्द (पीआरडी जवान) शशीधर भट्ट स्टेडियम कोटद्वार पौड़ीगढ़वाल (मौका गवाह)नोट- फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गई। sd तुषार बोरा, निरीक्षक, 24/1/2024सतर्कता अधिष्ठान देहरादून। (ट्रैप टीम प्रभारी)नोट में अ.उ.नि रघुवीर सिह चौहान प्रमाणित करता हूँ कि नकल पोस्ट ट्रैप मैमौ (POST TRAP MEMORANDAM) फर्द कैश सॉफ्टवेयर में शब्द वा शब्द टाईप की गयी है कोई भी शब्द घटाया बढाया नही गया है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Ganesh Singh Kutiyal **Rank (पद):** निरीक्षक

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RENU LOHANI

Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendant of Police)

No. (सं.):

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	पुरुष	1989		-		**चेचक:** नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** देहरादून **P.S. (थाना):** सतकर्ता सेक्टर देहरादून **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 03/02/2024 00:12 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day (दिन): शुक्रवार **Date from (दिनांक से):** 02/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 02/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/02/2024 **Time (समय):** 23:01 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Date and Time (दिनांक और समय):** 02/02/2024 23:01 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** दक्षिण, 85 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): बालावाली तिराह लक्सर ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Pankaj Pokhriyal

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 10/07/1980 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Dehradun, कोतवाली देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
2	वर्तमान पता	सतर्कता मुख्यालय देहरादून , सतकर्ता सेक्टर देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
3	स्थायी पता	Dehradun, कोतवाली देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9012281743

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent address (स्थाई पता)
1	रविपाल		पिता का नाम : महेन्द्र सिह	1. नई मण्डी झबरेड़ा,झबरेड ा,हरिद्वार ,उत्तराखंड,भ ारत	1. नई मण्डी झबरेड़ा,झबरेड़ा,हरिद्वार,उत्तराखंड,भारत
2	पदम प्रकाश		पिता का नाम : प्यारे लाल	1. भुमिया खेड़ा सलेमपुर,गंग नहर,हरिद्वार ,उत्तराखंड,भ ारत	1. भुमिया खेड़ा सलेमपुर,गंगनहर, हरिद्वार,उत्तराखंड ,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature of Property (संपत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	INVOLVED IN A CASE/CRIME	अभियुक्त गणो से 10000 रुपये उत्कोच धनराशी बरामद होना	10,000.00

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल पोस्ट ट्रैप मैमौ (POST TRAP MEMORANDAM) फर्द गिरफ्तारी दो नफर अभियुक्त व बरामदगी उत्कोच धनराशि रू0 10,000 / (दस हजार रूपये)कल दिनांक 01-02-2024 को प्री-ट्रैप कार्यवाही करने के उपरान्त पोस्ट ट्रैप की कार्यवाही न होने के कारण आज दिनांक 02-02-2024 को पुनः मैं ट्रैप प्रभारी पंकज पोखरियाल, निरीक्षक तुषार बोरा, अपर उप0निरी0 दिवाकर शर्मा, है0 कानि0 अश्वनी शर्मा, कानि0 अशोक कुमार, म0कानि0 मन्सा व स्वतन्त्र गवाह श्री संदीप सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह नेगी तथा श्री प्रदीप थपलियाल पुत्र पुरुषोत्तम थपलियाल के सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर देहरादून से मय ट्रैप किट, वाईस रिकार्डर मय दीगर कागजात के सरकारी वाहन संख्या-यू0के0-07जी0ए0-2398 चालक उमेश ध्यानी एवं संख्या-यू0के0-07-टी0ए0-7819 चालक शुभम जोशी के थाना हाजा के रपट नं-2 समय 08:18 पर रवाना होकर लक्सर बाजार से 05 कि0मी0 पहले स्थित एक पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे जहां पर तलब शुदा शिकायतकर्ता मौ0 आरिफ अपने मोटर साईकिल- संख्या यू0के0 17जे -1040 से हाजिर आया, शिकायतकर्ता ने बताया कल दिनांक 01-02-2024 को पदम प्रकाश से हुई वार्ता में उनके द्वारा बताया गया था कि मुझे आज दिनांक 02-02-2024 को लगभग 11:00 बजे दिन बालावाली तिराहे पर अग्रवाल जूस वाले की दुकान पर उनसे मिलना है। जहां पर वह रिश्वत के पैसे लेने अमीन रवि पाल के साथ आयेगे आप लोग वहां पर आस-पास खड़े हो जाना। आप शेडो विटनेश को मेरे साथ मत भेजो क्योंकि मुझे यहां पर सब जानते है, जिससे उनको शक हो सकता है। जिस पर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा सतर्कता अधिष्ठान से लाये गये वाईस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड को शिकायतकर्ता को देते हुए वाईस रिकार्डर में वाईस रिकार्डिंग करने की प्रक्रिया को समझाते हुए श्रेत्रीय अमीन से मिलने भेजा तथा बताया कि जब संग्रह अमीन श्री रविपाल व उसका सहकर्मी पदम प्रकाश आपसे रिश्वत की मांग करेगा तो उस वार्ता को रिकार्डर में रिकार्ड कर लें। तत्पश्चात शिकातकर्ता को आवश्यक हिदायत देते हुए शिकायतकर्ता के स्वयं के वाहन से रवाना किया गया। तत्पश्चात अन्य समस्त ट्रैप टीम व स्वतन्त्र गवाह के रवाना होकर बालवाली तिराहा के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए अग्रवाल जूस वाले के करीब से करीब रहते हुए जिससे कि दुकान में बैठे व खड़े लोगों को बखूबी देख व सुन सके। शेडो विटनेश संदीप सिंह अग्रवाल जूस वाले के दुकान पर लगी चाय की दुकान पर खडे होकर चाय पीते हुए इन्तजार करने लगे। समय करीब 11:20 पर दो व्यक्ति अपने बाईक नं-यू0के0-08-ए0जी0-0641 स्पलेण्डर से बालावाली तिराहे पर स्थित अग्रवाल भण्डार चाट की दुकान के अन्दर बैंच पर बैठ गये, करीब 11:30 पर शिकायतकर्ता श्री मौ0 आरिफ अपनी मोटर साईकिल यू0के0 17 जे-1040 से अग्रवाल चाट भण्डार की दुकान पर आया और दुकान के अन्दर पूर्व से वैठे दो व्यक्तियों के पास आकर खड़ा हो गया व अपने आर0सी0 की वापसी की बात करने लगा कि कब होगी, जिस पर वहां बैठे व्यक्तियों द्वारा अवैध उत्कोच की मांग की गयी कहा गया कि ऐसे नही होती जब पैसे नही दिये, जिसपर जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा अवैध उत्कोच धनराशि अपनी साथ लाने की बात कहते हुए अपनी पहनी पेंट की बांयी जेब से रिश्वत के रुप में दिये जानी वाली 10,000/-रुपये की धनराशि निकालकर एक व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने उन नोटों के गिना, उक्त रुपये गिनने के उपरान्त समस्त रुपये साथ में बैठे दूसरे व्यक्ति को दिये जिसे उस व्यक्ति ने अपनी पहनी कमीज के बांयी जेब में रख लिये, शिकायतकर्ता द्वारा पूछा गया कि जो मेरी आर0सी0 कटी है कब तक वापस चली जायेगी जिस पर बैठे व्यक्तियों ने कहा चली तो जायेगी पर किसी को कानों कान खबर न हो जाए। जो तुम्हारी आर0सी0 कटी है उसमें हम रिपोर्ट लगाकर वापिस जमा करा देगें। यह समस्त कार्यवाही शेडो विटनेश संदीप सिंह व मुझ ट्रैप प्रभारी, निरीक्षक तुषार बोरा, व समस्त ट्रैप टीम के सदस्यों तथा रिकवरी विटनेस प्रदीप थपलियाल ने देखा व सुना पूर्ण विश्वाश होने पर की रिश्वत की धनराशि का आदान प्रदान हो गया है वह शेडो विटनेस के द्वारा बताये गये तरीके से टोपी पहनकर इशारा होने पर एकदम दबिश देकर मुझ ट्रैप प्रभारी व समस्त ट्रैप टीम ने मिलकर दोनों स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता के समक्ष दोनों व्यक्तियों को समय करीब 11:40 बजे दिन में बालावाली तिराहे में स्थित अग्रवाल चाट भण्डार दुकान के अन्दर मौके से पकड़ लिया तथा मुझ ट्रैप प्रभारी

द्वारा शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराये गये वाईस रिकार्डर को शिकायतकर्ता से वापिस लिया तथा पकड़े जाने पर अग्रवाल चाट भण्डार में चल रहे जूस कार्नर के मालिक सचिन अग्रवाल पुत्र श्री अनिल अग्रवाल निवासी हाल किरायेदार राजीव का मकान, केशवनगर, निकट शुगर मिल, लक्सर हरिद्वार व चाय दुकान संचालक मनोज कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम रहीमपुर चौकी गोबरधनपुर, थाना खानपुर, जिला हरिद्वार को मौके का गवाह बनने को कहा गया तो कहने लगे साहब हम लोग लोकल के है हमें बाजार में रहकर दुकानदारी करनी है और हमारी दुश्मनी हो जायेगीं, हमें माफ कर दो हम गवाह नहीं बन सकते। आरोपियों को पकड़े जाने की सूचना मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु उचित माध्यम से उच्चधिकारियों को दी गयी, तत्पश्चात मुझ ट्रैप प्रभारी ने अपना व अपने समस्त ट्रैप टीम का परिचय देते हुए नाम पता पूछते हुए क्रमशः वार जामा तलाशी रिकवरी विटनेश प्रदीप थपलियाल लिवाई गयी, एक व्यक्ति जिसने शिकायतकर्ता से रिश्वत की धनराशि ली थी, ने अपना नाम पदम प्रकाश पुत्र स्व0 प्यारे लाल निवासी भूमियाखेड़ा, सलेमपुर, राजपुताना, रुड़की, थाना गंगनहर, जिला हरिद्वार वर्तमान तैनाती अनुसेवक, तहसील लक्सर, कार्यालय तहसीलदार, हरिद्वार बताया जामा तलाशी से बरामद पर्स जिसमें 13,535/-रुपये एक आधार कार्ड नं0-999262565133 तथा आई0डी0 कार्ड राजस्व विभाग उत्तराखण्ड तथा एक आर0सी0 वाहन संख्या यू0के0 17 वी-3191 व पहनी पेन्ट से एक मो0 फोन सैमसग, की पैड वाला, पुराना फोन, व दूसरे व्यक्ति जिसको अनुसेवक पदम प्रकाश ने रिश्वत के 10,000/-रुपये शिकायतकर्ता से लेकर दिये थे ने अपना नाम श्री रवि पाल पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी नई मण्डी, के पास कस्बा, झबरेड़ा हरिद्वार हाल तैनाती संग्रह अमीन क्षेत्र गोवर्धनपुर, तहसील लक्सर हरिद्वार बताया। उसकी जामा तलाशी में पहनी पेन्ट की बांयी जेब से 3,110/- रुपये, परिचय पत्र जारी कर्ता कार्यालय, जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार व एक वीवो फोन के अतिरिक्त पहनी कमीज की बांयी जेब से भारतीय मुद्रा के 500/-रुपये के 20 सरकारी नोट कुल 10,000/-रुपये बरामद हुये, बरामद धनराशि का मिलान रिकवरी विटनश प्रदीप थपलियाल द्वारा प्री-ट्रैप की कार्यवाही के दौरान अंकित सरकारी नोटों से किया गया तो बरामद धनराशि प्री-ट्रैप मेमोरेडम में अंकित नोटों के अनुसार सही पाये गये, बरामद भारतीय मुद्रा के सरकारी नोटों पर अंकित निम्नवत है।0
SR7841019NH2574034RN7078043VA6542059VA0507073ET8545113EW7414146SG1484153MW3968263SE0570371PG9766403KK8263513LP6667521BW4877531RU6497531DD0532734RM2295741TC6720741FQ1711747RB647781 इसी दौरान तलबशुदा दोनों सरकारी वाहन मोके पर आये, सरकारी वाहन से ट्रैप किट निकालकर बरामद उत्कोच धनराशि 10,000/-रुपये एक पीले लिफाफे में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार कर समस्त ट्रैप टीम स्वतन्त्र गवाहों, शिकायतकर्ता व आरोपियों के हस्ताक्षर करवाये गये, जिस पर प्रदर्श R-1 अंकित किया गया। बरामद उत्कोच की धनराशि के सम्बन्ध में पूछने पर आरोपी रवि पाल व पदम प्रकाश से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह बरामद 10,000/-रुपये हमने मौ0 आरिफ से अभी-अभी लिये है, जो उसकी आर0सी0 को वापस करवाने के एवज में रिश्वत के रुप में लिये है, जो आपने बरामद किये है।तत्पश्चात मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा ट्रैप किट में रखे कांच के साफ गिलास में साफ पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर रंगहीन घोल बनाया गया उस घोल में आरोपी श्री रविपाल के दोनों हाथ के अंगुलियों को धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया और उस घोल को एक साफ कांच की शीशी में ऱखकर ढक्कन लगाकर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी व नमूना मोहर बनाया गया जिस पर प्रदर्श R-2 अंकित किया गया। तदोपरान्त मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा पुनः कांच के साफ गिलास में साफ पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर रंगहीन घोल बनाया गया उस घोल में आरोपी श्री पदम प्रकाश के दोनों हाथ के अंगुलियों को धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया और उस घोल को एक साफ कांच की शीशी में ऱखकर ढक्कन लगाकर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी व नमूना मोहर बनाया गया जिस पर प्रदर्श R-3 अंकित किया गया।तत्पश्चात मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा पुनः कांच के साफ

गिलास में साफ पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर रंगहीन घोल बनाया गया उस घोल में रिकवरी विटनेस श्री प्रदीप थपलियाल के दोनों हाथ के अंगुलियों को धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया और उस घोल को एक साफ कांच की शीशी में ऱखकर ढक्कन लगाकर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी व नमूना मोहर बनाया गया जिस पर प्रदर्श R-4 अंकित किया गया।तत्पश्चात मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा पुनः कांच के साफ गिलास में साफ पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर रंगहीन घोल बनाया गया उस घोल में शिकायतकर्ता श्री मौ0 आरिफ को दोनों हाथ के अंगुलियों को धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया और उस घोल को एक साफ कांच की शीशी में ऱखकर ढक्कन लगाकर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी व नमूना मोहर बनाया गया जिस पर प्रदर्श R-5 अंकित किया गया।उक्त चारों सील बन्द कांच की शीशीयों की चिटबन्दी व नमूना मोहरों पर मुझ ट्रैप प्रभारी सहित समस्त ट्रैप टीम, स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता तथा आरोपियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।तत्पश्चात शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराये गये वाईस रिकार्डर में शिकायतकर्ता व आरोपी संग्रह अमीन श्री रविपाल व अनुसेवक पदम प्रकाश के मध्य हुयी वार्ता जिससे शिकायतकर्ता द्वारा सिखाये हुये तरीके से रिकार्ड किया गया को मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा सरकारी लैपटाप पर लगाकर समस्त ट्रैप टीम व स्वतन्त्र गवाहों, शिकायतकर्ता व आरोपियों के समक्ष सुना गया, जिसमें आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की धनराशि मांग करने तथा ग्रहण करने व रिश्वत देने के सम्बन्ध में किसी से न बताने सम्बन्धी व शिकायतकर्ता के विरुद्व जारी आर0सी0 को वापिस करने सम्बन्धी वार्ता स्पष्ट रुप से रिकार्ड है, जो USB DRIWE(G) में बने पार्थ PRIVATE- SONY-REC-FILE- FOIDER 01- 240202_1128 Date-02-02-2024, 11:28 MP 3 20,056 KB Size में अंकित है। उक्त रिकार्डिंग की प्रति को कापी कर वास्ते विवेचना व अग्रिम कार्यवाही हेतु सरकारी लैपटाप पर सेव किया गया। वाईस रिकार्डर में लगे एस0डी0 कार्ड SanDisk 32 G.B को निकालकर एक फायल पेपर में रखकर उसे एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे पर ऱखकर उसे पीले लिफाफे में डालकर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी कर नमूना मोहर बनाया गया, जिस पर मुझ ट्रैप प्रभारी व समस्त ट्रैप टीम व स्वतन्त्र गवाह व शिकायतकर्ता व आरोपियों ने हस्ताक्षर किये गये। जिस पर प्रदर्श R-6 अंकित किया गया। तत्पश्चात शिकायतकर्ता से उसके मो0फोन VIVO T1X Android रंग आसमानी नीला जिसमें शिकायतकर्ता व आरोपियों के मध्य दिनांक 30-01-2024 को रिश्वत मांगे जाने सम्बन्धी वार्तालाप रिकार्ड है, को लेकर उसके समक्ष चैक किया गया, जिसका IMEI NO-865225069554159, 865225069554142 है, जिसकी डायल काल्स में मोबा0 नं0 9536911551 जो कि संग्रह अमीन रविपाल का मोबा0नं0 है जिसकी हिस्ट्री चैक करने पर मंगलवार दिनांक 30-01-2024 समय 2:16पी0एम0 पर इनकमिंग काल, 2:17 पी0एम0 पर आउटगोईग काल व 8:22 पी0एम पर इनकमिंग काल की रिकार्डिग है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा पैसों की बात व अमीन द्वारा शिकायतकर्ता को अन्दर जाने का टायम आ गया तेरा अब तो, व होशियारी किसी
ओर को दिखाना रिकार्डिंग कर रहा है, जैसी बातों की छोटी-03 रिकार्डिग है सेव है। इसी प्रकार मोवा0नं0 9719471495 जो कि अनुसेवक पदम प्रकाश का नम्बर है, जिसकी काल हिस्ट्री में भी मंगलवार को शिकायतकर्ता से हुयी-03 इनकमिंग कालों की छोटी-03 रिकार्डिग मौजूद है जिसमें शिकायतकर्ता पैसों की इन्तजाम करने की बात कर रहा है व पदम प्रकाश द्वारा उसे जल्दी आने व नही आने व अन्य बाते अवैध पैसों की प्राप्ति हेतु लेन-देन सम्बन्धी रिकार्ड है। उक्त रिकार्डिंग में मौजूद व्यक्तियों की आवाजों की पुष्टि शिकायतकर्ता द्वारा की गयी है, उक्त काल रिकार्डिंग को मोबा0 की इण्टरनल मेमोरी मे तलाश करने पर काल हिस्ट्री के अलावा कहीं संरक्षित होना दर्शित नही हो रही है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि जिस रिकार्डिग एप में काल रिकार्डिंग हो रही थी वह उसने अमीन व पदम के डर से डिलिट कर दिया था। मोबा0 में मौजूद रिकार्डिग को जो कि व्ट्सअप के माध्यम से शेयर होना सम्भव है, उक्त रिकार्डिग व काल लॉग के स्क्रीन शॉट को व्ट्सअप वैब के माध्यम से विवेचना हेतु सरकारी लैपटाप में सेव किया गया, जो विवेचक को उपलब्ध करायी जायेगी। मूल रिकार्डिग जो मोबा0 फोन मे मौजूद है उक्त मोबाईल को वास्ते विवेचना

हेतु शिकायतकर्ता से समय करीब 16:25 पर कब्जे में लेकर मौके पर एक पार्दर्शी प्लास्टिक के डिब्बे मे रखकर उसे पीले लिफाफे में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया नमूना बनाया गया, जिसपर समस्त ट्रैप टीम व स्वतन्त्र गवाह, शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर कराये गये। जिसपर प्रदर्श R-7 अंकित किया गया अभियुक्त संग्रह अमीन श्री रविपाल पुत्र महेन्द्र सिंह व अनुसेवक पदम प्रकाश पुत्र स्व प्यारे लाल उपरोक्त का यह जुर्म धारा 07 व 12 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधि0 2018) के हद को पहुँचता है। अभियुक्तों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए हस्व जाफ्ता समय करीब 16:30 बजे शाम गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी मैमो एंव सूचना मैमों मौके पर तैयार किया गया अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तों के कहे अनुसार मुझ ट्रैप प्रभारी ने अपने मोबाईल नम्बर 9012281743 से आरोपी पदम प्रकाश के ससुर श्री महेन्द्र पाल गुप्ता के मोबा0नं0 9719423099 पर समय 17:54 बजे शाम व आरोपी रविपाल की भाई श्री सुखपाल के मो0नं0 9761040032 पर दी गयी। फर्द मौके पर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा बोल-बोलकर म0कानि0 मन्सा से सरकारी लैपटाप पर टाईप करवाया गया तथा सरकारी प्रिन्टर से प्रिन्ट की प्रति निकाली गयी। फर्द का मजबून उपस्थित समस्त ट्रैप टीम, स्वतन्त्र गवाहान व शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान करायी जाती है। फर्द की कार्यवाही 18:05 बजे शाम बजे तक चली। (पंकज पोखरियाल) निरीक्षक/ ट्रैप प्रभारी सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय-देहरादून।(तुषार बोरा) निरी0 सतर्कता अधिष्ठान, मुख्यालय-देहरादून। (दिवाकर शर्मा) अपर उप निरीक्षक सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर देहरादून। (अश्नवी शर्मा) है0कानि0 सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर देहरादून। (अशोक कुमार) कानि. सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर देहरादून। (मन्सा) म0 कानि0 सतर्कता अधिष्ठान, मुख्यालय-देहरादून। (प्रदीप थपलियाल) स्वतन्त्र गवाह अपर सहायक अभियन्ता अनुंसधान एवं नियोजन खण्ड यमुना कालोनी देहरादून। (संदीप सिंह) स्वतन्त्र गवाह सहायक समाज कल्याण, अधिकारी देहरादून (मौ0आरिफ) शिकायतकर्ता निवासी अब्दुलरहीमपुर थाना खानपुरर हरिद्वार। नोट- फर्द की नकल अभियुक्तगणों को दी गयी तथा हस्ताक्षर बनाये गये। रविपाल पुत्र महेन्द्र सिंह (आरोपी) पदम प्रकाश पुत्र स्व0 प्यारे लाल (आरोपी)

नोट में अ.उ.नि.रघुवीर सिह चौहान प्रमाणित करता हूँ कि नकल पोस्ट ट्रैप मैमौ (POST TRAP MEMORANDAM) फर्द कैश साँफ्टवेयर में शब्द वा शब्द टाईप की गयी है कोई भी शब्द घटाया बढाया नही गया है । अ.उ.नि.रघुवीर सिह चौहान सतर्कता अधिष्ठान थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून दिंनाक 2/2/2024

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Nutan Panwar **Rank (पद):** निरीक्षक

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RENU LOHANI

Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendant of Police)

No. (सं.):

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1979		-		चेचक: नहीं
2	पुरुष	1972		-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** देहरादून **P.S. (थाना):** सतकर्ता सेक्टर देहरादून **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 14/02/2024 15:23 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day (दिन): **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/02/2024 **Time (समय):** 15:02 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Date and Time (दिनांक और समय):** 14/02/2024 15:02 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** , कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Name (नाम): Ganesh Singh Kutiyal

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 12/07/1979

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):** पुलिस अधिकारी

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Dehradun, कोतवाली देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
2	वर्तमान पता	सतर्कता मुख्यालय देहरादून , देहरादून , सतकर्ता सेक्टर देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
3	स्थायी पता	Dehradun, कोतवाली देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 0

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent address (स्थाई पता)
1	माननेन्द्र सिंह पंवार		पिता का नाम : सुरेन्द्र सिंह	1. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र रुडकी,रुडकी, कोतवाली रुड़की,हरिद्वार,उत्तराखंड, भारत 2. ग्राम मंगान पो0ओ0 बनचौरा,चिन्यालीसौड,धरासू,उत्तरकाशी,उत्तराखंड,भारत	1. ग्राम मंगान पो0ओ0 बनचौरा,चिन्यालीसौड,धरासू,उत्तरकाशी,उत्तराखंड,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature of Property (संपत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	INVOLVED IN A CASE/CRIME	अभियुक्त द्वारा अपने पद्द का दुरुप्रयोग करते हुये आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना	.00

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, सैक्टर देहरादून। विषयः- श्री मानवेन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह पंवार निवासी ग्राम मंगान, पो0ओ0 बनचौरा, जिला उत्तरकाशी,नियुक्ति आबकारी निरीक्षक क्षेत्र -2 रुड़की जनपद हरिद्वार के विरुद्व धारा 13(1)बी सपठित धारा 13(2) भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना किये जाने विषयकः- महोदय,कृपया सादर अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने पत्रांक-स0अ0/ट्रैप -08/2021/1569 दिनांक-05 अगस्त 2021 के माध्यम से श्री मानवेन्द्र सिंह पंवार के विरूद्ध प्रेषित आख्या से सन्तुष्ट होकर अपर सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-5 उत्तराखण्ड ने अपने अर्द्व0शा0 पत्र सं0-1/29535/xxx-5/2022 दिनांक 18-04-2022 के द्वारा मानवेन्द्र सिंह पंवार आबकारी निरीक्षक क्षेत्र -2 रुड़की जनपद हरिद्वार के विरूद्ध खुली जांच कराये जाने के प्राप्त आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक सतर्कता सैक्टर देहरादून द्वारा अपने पत्रांक संख्या-सं0अ0-खु0-07/2022 दिनांक-26.04.2022 के माध्यम से उक्त खुली जांच निरीक्षक साधना त्यागी को सुपुर्द की गयी, निरीक्षक साधना त्यागी की सेवानिवृति होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक सैक्टर देहरादून के आदेश संख्या- सं0अ0-खु0- 07/2022 दिनांक 30 जुलाई 2022 को जांच मुझ निरीक्षक के सुपुर्द की गयी मुझ निरीक्षक द्वारा खुली जांच पूर्ण कर सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय के माध्यम से दिनांक-15.12.2023 को शासन को प्रेषित की गयी जिसके क्रम में अपर सचिव श्री कामेन्द्र सिंह, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-5 उत्तराखण्ड के अर्द्व0शा0 पत्र सं0-186252/PVD5-A/A3/11/2022 दिनांक 02-02-2024 व शुद्धि पत्र अ0श0प0सं0-188167/PVD5-A/A3/11/2022 दिनांक 08-02-2024 के माध्यम से श्री मानवेन्द्र पंवार हाल आबकारी निरीक्षक क्षेत्र -2 रुड़की जनपद हरिद्वार के विरूद्ध धारा 13(1)बी सपठित धारा 13(2) भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करने की अनुमति प्रदान की गयी श्रीमान पुलिस अधीक्षक सतर्कता मुख्यालय के आदेश पत्रांक स0अ0/अन्वे0-01/2024/364 दिनांक 12 फरवरी 2024 के अनुपालन में महोदय द्वारा अपने पत्रांक- स0अ0-अन्वे0-01/2024 दिनांक 12 फरवरी 2024 के माध्यम से मुझ निरीक्षक को अभियोग पंजीकृत कराने हेतु निर्देशित किया गया श्री मानवेन्द्र सिंह पंवार आबकारी निरीक्षक के सम्बन्ध में तथ्य निम्न प्रकार से हैः- श्री मानवेन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह पंवार मूल निवासी ग्राम मंगान, पो0ओ0 बनचौला, जिला उत्तरकाशी में वर्ष 2001 में सहायक अध्यापक के रुप में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड में प्राथमिक विद्यालय बकोल I उत्तरकाशी में तैनात हुआ, वर्ष 2008 में पदोन्नति होकर सहायक अध्यापक (विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माड़ विकासखण्ड, तहसील - चिन्यालीसौड़ में हुई। सितम्बर 2013 में निरीक्षक आबकारी के पद में भर्ती हुये, जो वर्तमान में क्षेत्र-02, रुड़की हरिद्वार में नियुक्त है, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम पंवार है तथा तीन पुत्रियाँ क्रमशः अंजुमन पंवार, उम्र 13 वर्ष, अंशुमन पंवार, उम्र 13 वर्ष दोनों कक्षा 9 में पढ़ती है तथा अर्चुमन पंवार उम्र 11 वर्ष, कक्षा 6 में पढ़ती है तीनों द एशियन स्कूल एशियन स्कूल इन्द्रानगर बसन्त विहार में अध्ययनरत हैं श्री मानवेन्द्र पंवार द्वारा चैक अवधि 01 सितम्बर 2013 से जुलाई 2021 के मध्य अपने पद का दुरूप्रयोग कर अपनी आय से अधिक आनुपातिक सम्पत्ति अर्जित की गयी उनके द्वारा चैक अवधि के मध्य अर्जित आय / व्यय का विवरण बनाया गया है जिसमें श्री मानवेन्द्र पंवार को चैक अवधि में वेतन के रूप में 47,29,199/-रूपये प्राप्त हुए तथा चैक अवधि से पूर्व चलअचल सम्पत्ति के

रूप में 18,14,754/-रूपये व चैक अवधि के अन्त में चल-अचल सम्पत्ति के रूप में 1,29,87,428/-रूपये मौजूद है चैक अवधि के मध्य कुल आय के रूप में 83,22,570/-रुपये प्राप्त हुए तथा व्यय के रूप में 37,14,079/-रुपये व्यय किये गये इस प्रकार श्री मानवेन्द्र पंवार द्वारा चैक अवधि सितम्बर 2013 से जुलाई 2021 के मध्य वैद्य स्रोतों से प्राप्त कुल आय 83,22,570/-रूपये के सापेक्ष 65,64,183/-रूपये(78.87%)अधिक व्यय किये गये जो श्री मानवेन्द्र पंवार द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद का दुरूप्रयोग कर आय से अधिक आनुपातिक सम्पत्ति अर्जित करने सम्बन्धी आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित करते है श्री मानवेन्द्र सिंह पंवार का यह कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 13(1)बी सपठित धारा 13(2) (संशोधित अधिनियम 2018) के अन्तर्गत आता है अतः अभियुक्त श्री मानवेन्द्र पंवार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह पंवार निवासी ग्राम मंगान, तहसील चिन्यालीसौड, जिला उत्तरकाशी, आबकारी निरीक्षक रुड़की हरिद्वार हाल तैनाती आबकारी निरीक्षक, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल अभियोग पंजीकृत करने की कृपा करें । SD (गणेश सिंह कुटियाल) निरीक्षक,सतर्कता अधिष्ठान, मु0 उत्तराखण्ड- देहरादून ।नोट मै अ0उ0नि0 रघुवीर सिंह चौहान प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर का टंकण मेरे द्वारा शब्द व शब्द टंकण किया गया है कोई शब्द घटाया बढ़ाया नही गया है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Pawan Kumar **Rank (पद):** निरीक्षक

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

Name (नाम): RENU LOHANI

Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendant of Police)

No. (सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1977		-		**चेचक:** नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** देहरादून **P.S. (थाना):** सतकर्ता सेक्टर देहरादून **Year (वर्ष):** 2024

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 07/05/2024 22:24 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   Day (दिन): मंगलवार **Date from (दिनांक से):** 07/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 07/05/2024

   Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/05/2024 **Time (समय):** 22:24 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 016 **Date and Time (दिनांक और समय):** 07/05/2024 22:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** उत्तर, 10 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

      (b) Address (पता): महेन्द्र चौक प्रेमनगर, देहरादून,

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** निरी0 श्री मनोज नैनवाल

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1971 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):** पुलिस अधिकारी

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून, सतकर्ता सेक्टर देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून, सतकर्ता सेक्टर देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9690685400

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent address (स्थाई पता)
1	शिशेन्द्र सिंह रावत हाल उपनल कर्मी विद्युत विभाग प्रमेनगर		पिता का नाम : श्री गोपाल सिंह	1. जामुनवाला,प्रेम नगर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत	1. जामुनवाला,प्रेम नगर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत
2	प्रमोद सिहं संविदा कर्मचारी लाईनमैन		पिता का नाम : श्री राम सागर	1. विंग न0 4 मीर कॉलोनी,प्रेमनगर,प्रेम नगर,देहरादून,उत्तराखंड,भारत	1. ग्राम बंकी,कोतवाली,बाराबंकी,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

जो भी देरी है जानिब वादी है दाखिला पोस्ट ट्रैप मैमो के आधार पर अभियोग तत्काल पंजीकृत किया गया है

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature of Property (संपत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		अभियुक्तगणों द्वारा शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने के एवज में 4500 रू0 उत्कोच धनराशि ग्रहण करना	4,500.00

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 4,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल पोस्ट ट्रैप मैमौ (POST TRAP MEMORANDAM) फर्द गिरफ्तारी दो नफर अभियुक्त व बरामदगी उत्कोच धनराशि रू0 4,500 / (चार हजार पांच सौ रूपये) : आज दिनांक 07.05.2024 को समय करीब 12:35 बजे मुझ ट्रैप टीम प्रभारी निरीक्षक मनोज नैनवाल के निर्देशन में सतर्कता अधिष्ठान देहरादून कार्यालय के कक्ष संख्या 108 में प्री-ट्रैप कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त विभाजित तीनों टीमों, जिसमें प्रथम टीम में शिकायतकर्ता श्रीमती लीलादेवी के साथ स्वतन्त्र गवाह श्री राजीव टण्डन (शैडो विटनेस), द्वितीय टीम जिसमें में ट्रैप प्रभारी मय निरीक्षक पंकज पोखरियाल, हे०कान्स० अश्वनी शर्मा, कान्स० अशोक व स्वतन्त्र गवाह श्री सतीश चन्द्र जोशी (रिकवरी विटनेस) तथा तृतीय टीम में निरीक्षक श्रीमती ज्योति चौहान नेगी, अ०उ०नि० दिवाकर शर्मा को नियुक्त किया गया। तीनों टीमें मय शिकायतकर्ता के यूके 07 जीए-2398 चालक उमेश ध्यानी व सरकारी वाहन संख्या यूके 07 जीए-1755 चालक हे०कां० किरन कुमार सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून से बहवाले रपट संख्या 10 समय 12:39 बजे प्रेमनगर देहरादून क्षेत्र में रवाना होकर समय करीब 13:05 बजे दारूल चौक प्रेमनगर पहुँचे। समय करीब 13:11 बजे शिकायतकर्ता द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 8979121968 से विद्युत विभाग के लाइनमैन श्री शशेन्द्र रावत के साथी श्री प्रमोद के मोबाइल नम्बर 9997837723 पर फोन किया गया। श्री प्रमोद से फोन पर वार्ता के बाद शिकायतकर्ता ने हमें बताया कि श्री शशेन्द्र व श्री प्रमोद दोनों साथ-साथ स्मिथ नगर, प्रेमनगर क्षेत्र में मौजूद है, इसके बाद वो लोग महेन्द्र चौक जायेंगे, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप जहाँ कहोगी, हम आ जायेंगे। शिकायतकर्ता ने बताया कि सर, ये दोनों लोग शातिर किस्म के हैं, यदि मैं आपके साथ जाऊँगी तो उन्हें शक हो जायेगा, मैं यहाँ से ऑटो मैजिक से महेन्द्र चौक चली जाती हूँ, आप लोग भी वही पर आ जाओ। इस पर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा शैडो विटनेस श्री राजीव टण्डन एवं हे०कां० अश्विनी व कां० अशोक, शिकायतकर्ता श्रीमती लीला देवी को उचित निर्देश देकर महेन्द्र चौक के लिए रवाना किया गया तथा मैं ट्रैप टीम प्रभारी शेष ट्रैप टीम के मय सरकारी वाहनो को लेकर महेन्द्र चौक, प्रेमनगर देहरादून के पास पहुँचे। सरकारी वाहनों को मय वाहन चालकों के महेन्द्र चौक से परवल रोड पर काफी दूर खडा कर, समस्त ट्रैप टीम पैदल पैदल महेन्द्र चौक पहुँचे, जहाँ पर शिकायतकर्ता मय शैडो विटनेस व हमराहकर्मी ऑटो टाटा मैजिक (व्यावसायिक वाहन) से पहुँचकर होटल एमआर० डोसा के पास मौजूद मिले, आपसी छुपाव बनाते हुए शिकायतकर्ता से बात की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा अभी प्रमोद से उसके नम्बर पर वार्ता की गई है जिसने बताया है कि वह महेन्द्र चौक पर पहुँचने वाले है। इसी दौरान समय करीब 14:05 पर शिकायतकर्ता के मोबाइल पर प्रमोद की कॉल आई व उसने बताया कि मैं महेन्द्र चौक के पास पहुँचने वाला हूँ। जिस पर शिकायतकर्ता को पूर्व में दिये गये वॉइस रिकार्डर को स्विच ऑन रखने हेतु कहा गया तो शिकायतकर्ता ने वॉइस रिकार्डर ऑन कर दिया। इसके बाद मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा तुरन्त सभी टीमों को पूर्व हिदायतानुसार सतर्क कर दिया व शिकायतकर्ता से जायज दूरी बना ली गई, शैडो विटनेस श्री राजीव टण्डन शिकायतकर्ता के साथ ही रहे। कुछ समय बाद मोतीपुर की ओर से एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति आकर महेन्द्र चौक के पास रूके और फोन पर बात करने लगे। जिस पर शिकायतकर्ता श्रीमती लीला देवी उनके पास गई व मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों से बात करने लगी, जिसे शैडो विटनेस श्री राजीव टण्डन एवं मौके पर मौजूद ट्रैप टीम सदस्यों द्वारा सुना तो शिकायतकर्ता व आरोपीगण के बीच विद्युत कनेक्शन को लेकर उत्कोच लेन-देन के

सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से बातचीत हो रही थी, जिसमें आरोपीगणों द्वारा 4500/- उत्कोच धनराशि की मांग शिकायतकर्ता से की जा रही थी। इसी दौरान बात करते-करते शिकायकर्ता श्रीमती लीला देवी ने मोटर साइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति को रूपये दे दिये, जिसे हम सभी ट्रैप टीम सदस्यों एवं स्वतन्त्र गवाहों द्वारा देखा गया तथा इस सम्भावना से कि कहीं दोनों व्यक्ति रिश्वत के रूपये लेकर मोटर साइकिल से भाग न जायें। मुझ ट्रैप टीम द्वारा समस्त ट्रैप टीम के सदस्यों को इशारा कर दौडकर मोटर साइकिल सवारों को पकड लिया गया तथा पीछे बैठे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जिसका नाम शिकायतकर्ता द्वारा प्रमोद एवं मोटरसाइकिल चालक का नाम शशेन्द्र रावत बताया व बताया कि प्रमोद व शशेन्द्र द्वारा उनका विद्युत कनेक्शन लगाने के नाम पर 4500/- रूपये रिश्वत के रूप में मिलकर लिये गये। मोटरसाइकिल सवार प्रमोद के दाहिने व बायें हाथ जिनसे वह उत्कोच की धनराशि गिन रहा था, को समय करीब 14:15 बजे हे०कां० अश्विनी एवं कां० अशोक ने पकड लिया, जिन्हें मुझ ट्रैप टीम प्रभारी द्वारा अपना परिचय दिया गया तथा प्रमोद के हाथ से रिकवरी विटनेस श्री सतीश चन्द्र जोशी द्वारा उत्कोच की धनराशि 4,500/- रूपये को बरामद किया गया तथा उक्त दोनों को मोटर साइकिल काले रंग की हीरो स्पलैण्डर यू०के०-07ए० जेड0-4535 से उतारकर मौके पर स्थित एमआर० डोसा रेस्टोरेंट महेन्द्र चौक पर लाये। उक्त मोटर साइकिल को श्री शशेन्द्र रावत द्वारा स्वयं की होना बताया गया। नाम पता पूछने पर उक्त दोनों में से एक ने अपना नाम 1- प्रमोद पुत्र राम सागर उम्र 27 वर्ष हाल निवासी विंग नम्बर 04. प्रेमनगर, मीर कॉलौनी, थाना प्रेम नगर देहरादून, मूल निवासी ग्राम बंकी थाना बंकी, जिला बाराबंकी उ०प्र० हाल लाइनमैन विद्युत उप-खण्ड मोहनपुर, प्रेमनगर देहरादून तथा दूसरे ने अपना नाम शशेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री गोपाल सिंह रावत निवासी जामुनवाला थाना प्रेमनगर देहरादून हाल लाइनमैन (उपनलकर्मी) विद्युत विभाग उपखण्ड मोहनपुर, प्रेमनगर, देहरादून बताया। रिकवरी विटनेस श्री सतीश चन्द्र जोशी ने बरामदा नोटों को गिनकर उनका मिलान प्री-ट्रैप मैमोरैण्डम में अंकित नोटों के सीरियल नम्बरों से किया गया तो भारतीय मुद्रा के 4,500/- के फिनफ्थलीन पाउडर लगे नोट सही पाये गये। इन सरकारी नोटों पर अंकित नम्बर का विवरण निम्नवत है:-
3GL033004,9TN640017,3RP275425,7E5965360 8EW185166 ,OTL487270, 2VW900780, 2VW900781, 2DU049292 ,बरामदा नोटों को मुझ ट्रैप टीम प्रभारी द्वारा मौके पर कब्जे में एक पीले लिफाफे में रखकर सील सर्वे मोहर नमूना मोहर किया गया व लिफाफे पर विवरण अंकित किया गया। जिसपर प्रदर्श-R-1 अंकित किया गया व लिफाफे पर समस्त टीम व स्वतन्त्र गवाहान व आरोपी शशेन्द्र व प्रमोद के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा ट्रैप किट में रखे कांच के एक साफ गिलास में साफ पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल बनाया गया ओर उस घोल में आरोपी प्रमोद के दोनो हाथो की अंगुलियों को डुबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, इस घोल को कांच की एक साफ शीशी में रखकर ढक्कन लगाकर सील सर्वे मोहर किया गया चिटबन्दी तथा नमूना मोहर बनाया गया, जिसपर प्रदर्श R-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात पुनः मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा कांच के एक साफ गिलास में साफ पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल बनाया गया ओर उस घोल में शिकायतकर्ता श्रीमती लीलादेवी के दोनो हाथो की अंगुलियों को डुबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया इस घोल को कांच की एक साफ शीशी में रखकर ढक्कन लगाकर सील सर्वे मोहर किया गया चिटबन्दी तथा नमूना प्रदर्श R-3 अंकित किया गया। मोहर बनाया गया। जिसपर तदोपरांत पुनः कांच के एक साफ गिलास में साफ पानी लेकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल बनाया गया ओर उस घोल में स्वतंत्र गवाह श्री सतीश चन्द्र जोशी (रिकवरी विटनेस) के दोनो हाथो की अंगुलियों को डुबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, इस घोल को कांच की एक साफ शीशी में रखकर ढक्कन लगाकर सील सर्वे मोहर किया गया चिटबन्दी तथा नमूना मोहर बनाया गया। जिसपर प्रदर्श-R-4 अंकित किया गया। मौके पर शिकायतकर्ता से रिकॉर्डर कब्जे में लेकर स्विच ऑफ किया गया। आरोपी शशेन्द्र सिंह व प्रमोद की जामातलाशी स्वतन्त्र गवाहों के समक्ष का० अशोक द्वारा ली गई तो शशेन्द्र सिंह की तलाशी में एक रेडमी

कम्पनी का नीले का मोबाइल फोन, 500/-रू० नगद, एक पेचकस/टैस्टर, एक नट-बोल्ट खोलने की 12-13 नम्बर की चाबी तथा प्रमोद की जामा तलाशी में एक सैमसंग कम्पनी का हरे रंग का मोबाइल फोन, 130/-रू0 नगद, एक आधार कार्ड, बिजली विभाग का परिचय पत्र, एक प्लास, 2 पेचकस बरामद हुए। श्री शशेन्द्र रावत की मोटर साइकिल एवं दोनों आरोपियों की जागा तलाशी के रूप में बरामद सामान थाना हाजा पर दाखिल किया जायेगा। तत्पश्चात मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा आरोपी शशेन्द्र सिंह एवं प्रमोद उक्त की गिरफ्तारी की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सतर्कता मुख्यालय देहरादून महोदय को मोबाइल से नियमानुसार दी गयी। दोनों आरोपियों से भ्रष्टाचार करते हुए शिकायतकर्ता से उत्कोच की मांग करने एवं उत्कोच की धनराशि 4,500/-रू० ग्रहण करने के विषय में पूछा तो आरोपी श्री प्रमोद ने घबराते हुए गाना कि उसने व लाइनमैन श्री शशेन्द्र रावत ने शिकायतकर्ता श्रीमती लीलादेवी के घर में विद्युत कनेक्शन लगाने के नाम पर लीलादेवी से उत्कोच की 5000/- धनराशि की मांग की है व शिकायतकर्ता से दौराने बातचीत तय हुए 4500/- रूपये में उत्कोच धनराशि श्री शशेन्द्र के कहने पर प्रमोद ने ग्रहण की है। शिकायतकर्ता से लिये गये सोनी वॉइस रिकार्डर सं0-1098106 को ऑन करके सरकारी लैपटॉप में लगाकर शिकायतकर्ता एवं आरोपीगण श्री शशेन्द्र व श्री प्रमोद के मध्य आज हुई गौके की वार्ता की रिकार्डिंग, जो SANDISK ULTRA 32GB के Path USB Drive (G:) के फोल्डर PRIVATE के अन्दर बने फोल्डर SONY के अन्दर बने फोल्डर REC_FILE के अन्दर बने फोल्डर FOLDER 01 के अन्दर उपलब्ध फाइल नम्बर 240507_1402 Created-Tuesday, May 7, 2024, 2:02:06PM, Size-20,6MB के Path में संरक्षित है। उक्त रिकॉर्डिंग को समस्त टीम, स्वतन्त्र गवाहान व शिकायतकर्ता के समक्ष सुना गया तो आरोपीगण व शिकायतकर्ता द्वारा अपनी-अपनी आवाज को पहचाना गया। रिकार्डिंग को सुनने पर 03:05 मिनट से 04:45 मिनट के मध्य शिकायतकर्ता व दोनों आरोपियों के बीच विद्युत कनेक्शन को लेकर उत्कोच लेन-देन के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से वार्तालाप रिकार्ड हुई है, जिसमें आरोपीगणों द्वारा 4500/- उत्कोच धनराशि की मांग शिकायतकर्ता से की जा रही है। उक्त रिकार्डिंग को सुनने के पश्चात सम्बन्धित फाइल की कॉपी विवेचना हेतु सरकारी लैपटॉप पर संरक्षित की गई तथा वॉइस रिकार्डर लैपटॉप से अलग कर रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड SanDisk Ultra 32 GB को एक सफेद कागज में लपेटकर M3 अंकित किया गया तथा प्लास्टिक की एक पारदर्शी डिब्बी में उक्त मैमोरी कार्ड को रखकर पीले लिफाफे में डालकर सील सर्वेमोहर किया गया तथा नमूना मोहर बनाया गया, जिसमें समस्त ट्रैप टीम, स्वतन्त्र गवाह व शिकायतकर्ता व आरोपीगणों के हस्ताक्षर बनवाये गये। जिस पर प्रदर्श R-5 अंकित किया गया। अभियुक्तगण 1- प्रमोद पुत्र राम सागर उम्र 27 वर्ष हाल निवासी विंग नम्बर 04, प्रेमनगर, मीर कॉलौनी, थाना प्रेम नगर देहरादून, मूल निवासी ग्राम बंकी थाना बंकी, जिला बाराबंकी उ०प्र० हाल लाइनमैन विद्युत उप-खण्ड मोहनपुर, प्रेमनगर देहरादून तथा 2-शशेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री गोपाल सिंह रावत निवासी जामुनवाला थाना प्रेमनगर देहरादून हाल लाइनमैन (उपनलकर्मी) विद्युत विभाग उपखण्ड मोहनपुर, प्रेमनगर, देहरादून का यह अपराध जुर्म धारा 7 व 12 अ०नि०अधि० 1988 (संशोधित अधिनियम को पहुंचता है। 2018) की हद अतः आरोपीगण प्रमोद व शशेन्द्र उपरोक्त को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए पूर्ण पूछताछ के बाद हस्बकायदा समय करीब 16:00 बजे सांय गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण का गिरफ्तारी मेमो एवं सूचना मेमो मौके पर तैयार किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना मुझ ट्रैप टीम प्रभारी ने अपने मोबाईल नम्बर 9690685400 से अभियुक्त शशेन्द्र की पत्नी श्रीमती सरोज रावत के मोबाईल नम्बर 9917745838 पर समय करीब 16:09 बजे तथा अभियुक्त प्रमोद की पत्नी श्रीमती पूजा के मोबाईल नम्बर 9801499578 पर समय करीब 16:21 बजे अभियुक्त सांय दी गई। उक्त दोनों मोबाइल फोन अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के समय स्विच ऑफ कराये गये। फर्द मौके पर प्रेमनगर देहरादून क्षेत्र में महेन्द्र चौक पर स्थित एम०आर० डोसा रैस्टोरेंट में मुझ ट्रैप टीम प्रभारी द्वारा अ०उ०नि० दिवाकर शर्मा को बोल-बोल कर सरकारी लैपटॉप पर टाईप करवाई गयी तथा सरकारी प्रिन्टर से प्रिन्ट करवाई गई। एम०आर० रैस्टोरेंट के मैनेजर श्री मंजेश पुत्र सरोज कुमार निवासी गोविन्दगढ, यमुना कॉलौनी, थाना कैण्ट देहरादून एवं

आस-पास के दुकानदारों को मौके पर गवाही हेतु कहा गया तो स्थानीय व्यापारी एवं अभियुक्तगण भी स्थानीय होने के कारण भलाई बुराई का हवाला देते हुए कोई गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ। फर्द का गजवून हमराही ट्रैप टीम के सदस्यों, दोनो स्वतंत्र गवाहों एवं शिकायतकर्ता को पढकर सुनाकर गवाही गवाहान कराई जाती हैं। पोस्ट-ट्रैप की कार्यवाही समय 19:00 बजे समाप्त हुई। SD अग्रेजी अपठित मनोज नैनवाल निरीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान देहरादून। (ट्रैप टीम प्रभारी) SD अग्रेजी अपठित पंकज पोखरियाल, निरीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान देहरादून। SD अग्रेजी अपठित ज्योति चौहान नेगी निरीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान देहरादून। SD अग्रेजी अपठित दिवाकर शर्मा अपर उप निरीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान देहरादून। SD अग्रेजी अपठित अश्वनी शर्मा, मु० आरक्षी, सतर्कता अधिष्ठान देहरादून। SD अग्रेजी अपठित अशोक कुमार आरक्षी, सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून SD लीला देवी श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री विष्णु निवासी प्रेमनगर ठाकुरपुर, देहरादून (शिकायतकर्ता) SD अग्रेजी अपठित सतीश चन्द्र जोशी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कृषि विभाग, देहरादून (स्वतन्त्र गवाह) SD अग्रेजी अपठित श्री राजीव टण्डन प्रशासनिक अधिकारी, गन्ना विभाग, देहरादून। (स्वतन्त्र गवाह) नोट :- फर्द की एक प्रति अभियुक्त प्रति अभियुक्तगणों को दी गई। SD अग्रेजी अपठित मनोज नैनवाल निरीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून। (ट्रैप टीमप्रभारी)

नोट- प्रमाणित किया जाता है कि मुझ हे0कानि0 द्वारा पोस्ट ट्रैप की नकल कैश साफ्टवेयर मे शब्द वा शब्द अंकित किया गया है कोई शब्द घटाया बढाया नही गया है ।

हे0कानि0 सुरेन्द्र सिंह
थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून
दिनांक 7-5-24

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** BACHAN SINGH RANA **Rank (पद):** निरीक्षक

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Dhirandra Singh Gunjiyal

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No. (सं.):

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1976				**चेचक:** हां
2	पुरुष	1997				**चेचक:** हां

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** देहरादून **P.S. (थाना):** सतकर्ता सेक्टर देहरादून **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0007 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 26/06/2024 00:01 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day (दिन): मंगलवार **Date from (दिनांक से):** 25/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 25/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 15:10 बजे **Time To (समय तक):** 15:10 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/06/2024 **Time (समय):** 22:56 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 016 **Date and Time (दिनांक और समय):** 25/06/2024 22:56 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व, 8 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): आयकर कार्यालय 23 लक्ष्मी रोड़ दे0दून ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(a) **Name (नाम):** Manoj Nainwal

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 17/07/1980

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Dehradun, बसंत विहार, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
2	वर्तमान पता	सतर्कता सेक्टर देहरादून , सतकर्ता सेक्टर देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
3	स्थायी पता	Dehradun, बसंत विहार, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9690685400

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent address (स्थाई पता)
1	शशीकान्त दुबे		पिता का नाम : ब्रहमेश्वर दुबे	1. आयकर कार्यालय 23 लक्ष्मी रोड़,देहरादून, डालनवाला,देहरादून,उत्तराखंड,भारत	1. वासू स्टेट कैनाल रोड़ जाखन,देहरादून,सतकर्ता सेक्टर देहरादून,देहरादून,उत्तराखंड,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature of Property (संपत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	INVOLVED IN A CASE/CRIME	अभियुक्त से 75000 उत्कोच धनराशी बरामद	75,000.00

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 75,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल पोस्ट ट्रैप मैमो (POST TRAP MEMORANDUM)फर्द गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त व बरामदगी उत्कोच धनराशी 75,000/-रुपये (पिचहत्तर हजार रुपये)आज दिनांक 25-06-2024 को मैं ट्रैप प्रभारी निरीक्षक मनोज नैनवाल मय ट्रैप टीम, शिकायतकर्ता व मय स्वतन्त्र गवाहों के बाद प्री-ट्रैप कार्यवाही के सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय से रपट नम्बर 8 समय 12:08 बजे मैं ट्रैप टीम प्रभारी मनोज नैनवाल, निरीक्षक पंकज पोखरियाल, आरक्षी अशोक, आरक्षी

अनूप रावत, म0आरक्षी मन्सा व स्वतन्त्र गवाह 1- श्री रजित कोटियाल 2- सहेन्द्र सिंह नेगी के सरकारी वाहन संख्या यू0के0 07 एफ एम 6889 मय चालक बतुल व वाहन संख्या 2-यू0के0 07 जी0ए0 2398 चालक उमेश ध्यानी के व शिकायतकर्ता हार्दिक गुप्ता स्वयं के एक्टिवा स्कूटी से रवाना होकर राज्य कर विभाग, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून से करीब 300 मीटर पहले पहुंचे, सड़क किनारे गाड़ी को रोककर पुनः समस्त टीम को हिदायत की गयी शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आरोपी शशिकान्त दूबे का कार्यालय कर विभाग की दूसरी मंजिल पर 306 नम्बर कमरे में स्थित है, जहां पर एक साथ कार्यालय की लोबी में खड़े रहने पर वहां के कर्मचारी पूछताछ कर सकते हैं व शक होने पर बिजलेंस टीम की सूचना आरोपी को हो सकती है सावधानी बरतने की जरुरत है। जिस पर समस्त ट्रैप टीम को मौके के अनुसार कार्यवाही करने को कहते हुए शिकायतकर्ता के साथ गवाह रजित कोटियाल को उसकी स्वयं की स्कूटी से राज्य कर विभाग रवाना किया गया, शेष टीम पैदल-02 चलकर अपनी पहचान को छुपाते हुए राज्य कर कार्यालय पहुंचे, शिकायतकर्ता व स्वतन्त्र गवाह रजित कोटियाल से नजरी दूरी बनाते हुये व आपस में छुपाव रखते हुए कर विभाग की दूसरी मंजिल पर टीमवार पहुंचे, जहां शिकायतकर्ता व स्वतन्त्र गवाह आरोपी डा0 शशिकान्त दूबे असिस्टेन्ट कमिश्नर स्टेट टैक्स, सैक्टर-5 देहरादून के नाम पट्टिका लगे कार्यालय कक्ष में चले गये,जिस पर उनके कार्यालय के बाहर कर्मियों से नजर बचाते हुए सभी ट्रैप टीम कर्मी आस-पास इन्तजार करने लगे, कुछ समय बाद समय करीब 12:50 बजे शिकायतकर्ता व स्वतन्त्र गवाह बाहर आये और बताया कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत की धनराशि ग्रहण कर ली गयी है, जिस पर शिकायतकर्ता व स्वतन्त्र गवाह तथा समस्त ट्रैप टीम के साथ मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा आरोपी के कमरे में एकदम प्रवेश किया तो शिकायतकर्ता द्वारा कार्यालय कक्ष में सामने लगे टेबल के दूसरी ओर बैठे व्यक्ति को आरोपी शशिकान्त दूबे होना बताया तथा उक्त के बांयी ओर रखी लोहे की रेक के ऊपर रखे काले रंग के बैग की ओर ईशारा करते हुए बताया कि आरोपी द्वारा इस बैग में रिश्वत की धनराशि रखने हेतु कहा गया था, जो मेरे द्वारा उनके कहे अनुसार बैग में रख दी गयी थी और मैं व स्वतन्त्र गवाह कुछ देर में बाहर आ गये थे, जिस पर आरोपी शशिकान्त दूबे को अपना व टीम का परिचय देते हुए उक्त बैग के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि यह बैग मेरा ही है, जिस पर उक्त बैग को खोलकर दिखाने को कहा गया तो उक्त द्वारा सकपकाते हुए बैग खोलकर दिखाया गया जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया 500/- रुपये के भारतीय नोटों का बंडल रखा हुआ था, जो शशिकान्त दूबे द्वारा बैग से अन्य सामान सहित टेबल पर निकाल कर रख दिया गया तथा उक्त नोटो के बंडल के सम्बन्ध में पूछे जाने पर कि किस कार्य के लिये गये है तो उनके द्वारा कोई संतुष्टि पूर्ण उत्तर नही दिया गया है। शिकायतकर्ता से उक्त को दिये गये रिकार्डर को जो उक्त के द्वारा ऑफ कर दिया गया था वापस लिया गया तथा नोटों के बंडल को रिकवरी विटनेश श्री सहेन्द्र सिंह नेगी से अपने कब्जे में लेकर प्री-ट्रैप में अंकित नोटों के सिरियल नम्बरों से मिलान करने हेतु कहा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये भारतीय मुद्रा के फिनाफ्थलीन लगे वही 500/-रुपये के 150 नोट है, जो कुल 75,000/-रुपये है, जिनकी क्रम संख्या निम्नवत हैः- बरामदा नोटों का विवरण
2PM2499053RD4679856PK9171726ND5384674RM0611591SK7058354SL4263185AH5507361SK939902
5BQ9266648RD5151292HU1980424SE5949301MT2845310US1654192KS4630964GH9686511CK999974
7WW6816927WW6816937WW6816946WR0311059GG8885388HW2764178HW2764143KS4544075WR6
093423DV4469715NK8145814HM7333873AK0350779RQ5701609RQ5701639RQ5701599RQ0003815EF
3462870UW0140650UW0140684CF2315875NC5652322WS0836302WS0836292WS0836281KM8839330
UW9423329NV3237134PL1419968AW2684658KR1159515NK9917820LW8846860LW8846874BA13771
99KD9565374GL9091073UA5019154KD7014094BA1377201PK0447774FB3516454DA9856329TS83114
03UE7165618GD1213752FF2064685BP3541987FP6388658FN1494658NV0227445LV2612985QF6996721
AF4014199ET1292311VL9699201RN9333441DF3978388UH6492542BM6862196LV3965824QH3685685
DL4575551DP5895934QE1369709RP1802765MR9257678PP6526237LN4813349VV2187989KU1588033
AH8938260BD2210462BF3846534DC3291346AN8351203SK0055161CV7518939DT3944989DT3944990
LW8846845LB5445439BA1147749CM7405078UN3232010UR0690603BP0019432HT9970369PT1410190
LQ7815040CD9650209GB2572055LU9708733QK3933622CD3313333TK7844593EL5252723EP1760433

LB9663423BH0060693MW8283013CF6523523AP1782493MP0224123VG2532914KR4627710EL0955260MF4813117PF7359652EN8900751FE8955350NF9289984GN0378346PG9160489GD9203080TA3822324FQ1183946GF8576615WA3385831NF2853074AG7866207DQ9484807WD8933419BW2841969BW2841959BW2841949BW2841794BD3186907CA0318057CH7166242HU6200150LW884685जिन्हें समय 13:00 बजे बरामद किया गया व बरामदगी सही पाते हुये मौके पर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा नोटों को कब्जे में लेकर एक पीले लिफाफे में रखकर सील सर्वे मोहर व नमूना मोहर बनाते हुये लिफाफे पर विवरण अंकित करते हुए, समस्त ट्रैप टीम, स्वतन्त्र गवाहों, शिकायतकर्ता व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। लिफाफे पर प्रदर्श R-2 अंकित किया गया। तदोपरान्त डा0 शशिकान्त दूबे से पूर्ण नाम पता पूछा गया तो अपना नाम डा0 शशिकान्त दूबे पुत्र स्व0 ब्रहम्मेश्वर दूबे निवासी मकान नम्बर 39/30, वासु स्टेट, कैनाल रोड, जाखन, थाना राजपुर रोड, देहरादून हाल सहायक आयुक्त राज्य कर, सैक्टर-05, देहरादून मूल निवासी दवनपुरा पोस्ट सीमरी, थाना सीमरी, जिला बक्सर बिहार बताया गया। स्वतन्त्र गवाह सहेन्द्र सिंह नेगी से आरोपी की जामा तलाशी लिवाई गयी तो आरोपी द्वारा पहनी पेन्ट के पीछे की जेब में 500X42 नोट कुल 21,000/- रुपये नकद व एक हाथ की घड़ी एप्पल मार्का होना बताया बरामद हुये। आरोपी द्वारा स्वयं के काले बरामदा बैग जिसका सामान टेबल पर उक्त द्वारा स्वयं निकाला गया उक्त बैग से बरामद करायी गयी उत्कोच धनराशि के अलावा, एक काला पर्स जिसे स्वयं का होना बताया जिसमें आरोपी के स्वयं का 01 आधार कार्ड, 01 डी0एल0, 01 एस0बी0आई0 व पी0एन0बी0 का रुपे ए0टी0एम0 कार्ड व 100 के 01 नोट 50 के 04 नोट कुल 300/-रुपये व एक लैपटाप चार्जर व माऊस सहित बरामद हुये व आरोपी के हाथ में पकड़े हुये सैमसंग व एप्पल मार्का मोबाईल बरामद हुये, जिन्हें जामा तलाशी के रुप में कब्जे में लिया गया। आरोपी डा0 शशिकान्त दूबे के हाथों को धोने की कार्यवाही की जाती है। जिसके लिए आरक्षी अशोक से साफ काँच के गिलास में साफ पानी मंगाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसका घोल तैयार कर आरोपी डा0 शशिकान्त दूबे के दोनों हाथों की उगलिंयों को धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, इस घोल को कांच की शीशी में रखकर ढक्कन बन्द कर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी की गयी तथा नमूना मोहर तैयार किया गया, जिस पर सभी ट्रैप टीम के सदस्यों व स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता व अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये, जिस पर प्रदर्श R-3 अंकित किया गया। पुनः आरक्षी अशोक से एक गिलास में साफ पानी भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसका घोल तैयार कर स्वतन्त्र गवाह रिकवरी विटनेश श्री सहेन्द्र सिंह नेगी के हाथ की उगलिंयों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो सोडियम कार्बोनेट के रंगहीन घोल में हाथ डुबोने पर रंग हीन पानी का रंग गुलाबी हो गया। इस गुलाबी रंग के घोल को भी साफ काँच की शीशी में रखकर ढक्कन बन्द कर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी की गयी तथा नमूना मोहर तैयार किया गया, जिस पर ट्रैप टीम के सभी सदस्यों व स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता व आरोपी के हस्ताक्षर बनवाये गये। जिस पर प्रदर्श R4 अंकित किया गया। इसके उपरान्त पुनः आरक्षी अशोक से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसका घोल तैयार कर शिकायतकर्ता हार्दिक गुप्ता के हाथ की उगलिंयों को धुलवाया गया तो सोडियम कार्बोनेट के रंग हीन घोल में हाथ डूबोने पर रंगहीन पानी का रंग गुलाबी हो गया इस गुलाबी रंग के घोल को साफ काँच की शीशी में रखकर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी कर नमूना मोहर तैयार किया गया, जिस पर सभी ट्रैप टीम के सदस्यों व स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता व आरोपी के हस्ताक्षर बनवाये गये । जिस पर प्रदर्श R5 अंकित किया गया। आरोपी डा0 शशिकान्त दूबे से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि मैं वर्ष 2010 उत्तराखण्ड पी0सी0एस0 बैच का सहायक आयुक्त हूं तथा वर्ष 2015 में मेरी ज्वाईनिंग हुई है। मैं वर्ष 2021 से सहायक आयुक्त सैक्टर 05 के पद पर हूं, मेरा काम जी0एस0टी0 व वैट के डीलरों का अस्सिमेन्ट करना है। रजिस्टर्ड व्यापारी भी इसी श्रेणी में आते है। शिकायतकर्ता हार्दिक गुप्ता का रेस्टोरेन्ट राजपुर रोड पर कारीगरी सैफ के नाम से है, जहां मैं 02 महीने पहले गया था, वहां पर हमने इन्वाईश कैसे काटे जाते है कि जानकारी ली थी वहां इनके कर्मचारी ने मेरी बात इनसे करायी थी। कल दिनांक 24-06-2024 को हार्दिक

गुप्ता मेरे से मिलने आये थे व अपने नये काम को करने के सम्बन्ध में बताया था। इसके अलावा बाकि कोई विशेष जानकारी मेरे पास नहीं है तत्पश्चात शिकायतकर्ता श्री हार्दिक गुप्ता को दिये गये, आडियो रिकोर्डर सोनी रंग काला जिसका सीरियल न0 1087210 है, जो मय मैमोरी कार्ड SANDISK ultra 32 जी0वी0 है, को सरकारी लैपटाप पर लगाकर उसमें मौजूद उत्कोच के लेनदेन से सम्बन्धित वार्तालाप की रिकोर्डिग को स्वतन्त्र गवाहान, समस्त ट्रैप टीम ,शिकायतकर्ता व अभियुक्त के समक्ष सुना गया, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आवाज व आरोपी द्वारा अपने आवाज की पुष्टि की गयी वार्तालाप में आरोपी डा0 शशिकान्त दूबे द्वारा शिकायतकर्ता हार्दिक गुप्ता व स्वतन्त्र गवाह रजित कोटियाल से वार्तालाप की जा रही है, जिसमें शुरु में सामान्य बातों में शिकायतकर्ता द्वारा स्वतन्त्र गवाह का परिचय प्रोपर्टी डीलर व पार्टनर के रुप में दिया जा रहा है आरोपी द्वारा प्रोपर्टी के सम्बन्ध में स्वतन्त्र गवाहान से पूछताछ की जा रही है, आरोपी द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि उसे कहीं जाना था। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा उससे आंखों व हाथ के इशारे से उत्कोच की धनराशि देने का इशारा किया गया था व उत्कोच धनराशि अपने काले रंग के बैग में रखने को कहा था। रिकार्डिंग में शिकायतकर्ता के यह कहने पर कि एक बार हाथ मार लो, गिन तो लो पता चला कम कर दिये हमने रिकार्डिंग में साफ सुनाई दे रहा है आरोपी डा0 शशिकान्त दूबे द्वारा कहा गया कि यह सब नही, अरे नही आदमी कैसा है हम आदमी पड़ते है उसमें बैग में रख दो। इसके अलावा अन्य बातों के साथ शिकायतकर्ता को यह भी कह रहा है कि डिपार्टमेन्ट से कभी फोन आये तो सीट बुक कर देना ध्यान रखना व अन्य बाते है, मुख्य रिकार्डिंग वार्तालाप 10 वें मिनट से 19 वे मिनट के मध्य का है। उक्त रिकार्डिंग का पाथ USB(F:) PRIVATE\SONY\REC-FILE\FOLDER01 File name 240625_1235 Type of File MP3 File, Size-33.6MB Created-Tuesday, Jun 25, 2024, 12:35:47 है। उत्कोच सम्बन्धी रिकार्डेड वार्तालाप फाईल की कापी कर सरकारी लैपटाप पर अग्रेत्तर विवेचना हेतु सुरक्षित की गयी व रिकार्डर में से मैमौरी कार्ड SanDisk 32 जी0बी0 को निकालकर एक सिल्बर फोयल में लपेटकर उक्त को प्लास्टिक के डिब्बी में रखा गया जिसे पीले रंग के लिफाफे में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया विवरण लिफाफे पर अंकित किया गया, जिस पर ट्रैप टीम के समस्त सदस्यों, स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता व आरोपी के हस्ताक्षर बनवाये गये। जिस पर प्रदर्श R-6 अंकित किया गया। शिकायतकर्ता को दिये गये अन्य विडियो ऑडियों रिकार्डिंग डिवाईश को चैक करने पर रिकार्डिंग होना नहीं पाया गया है।आरोपी डा0 शशिकान्त दूबे से अपनी सफाई देने को कहा गया तो कोई सही जवाब नही दे पा रहे हैं, उपरोक्त का यह जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधि0 2018) की हद तक पहुंचता है। उक्त आरोपी को उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए सम्पूर्ण पूछताछ के पश्चात समय करीब 15:10 बजे हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी मैमो मौके पर तैयार कर ट्रैप टीम के सभी सदस्यों, स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता तथा आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा गिरफ्तारी की सूचना हस्व ख्वाहिस अभियुक्त की माता श्रीमती सोहेद्रा देवी के मो0नं0 9110097256 पर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा अपने मो0नं0 9690685400 से समय करीब 15:12 बजे दी गयी व विभागीय अधिकारी संयुक्त आयुक्त, राज्य कर देहरादून को आरोपी डा0 शशिकान्त दूबे की गिरफ्तारी की सूचना पत्र द्वारा सूचनार्थ दी गयी। सम्पूर्ण कार्यवाही शिकायतकर्ता की तहरीर, प्रारम्भिक जांच एवं फर्द बरामदगी उत्तकोच धनराशी से प्रथम दृष्टिया गिरफ्तार शुदा अभियुक्त डा0 शशिकान्त दूबे का जुर्म धारा 7 भ्र0नि0अधि0 1988 संशोधित अधि0 2018 का होना पाया गया। फर्द बरामदगी म0कानि0 मन्सा से बोल बोलकर सरकारी लैपटाप पर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा टाईप करवाई गयी, जिसे पढ़कर समस्त ट्रैप टीम, स्वतन्त्र गवाहों, आरोपी व शिकायतकर्ता को सुनवाया गया फर्द की प्रिन्ट कापी प्रिन्टर के माध्यम से निकाली गयी व हस्ताक्षर कराये गये। ट्रैप की कार्यवाही दिनांक 25-06-2024 समय करीब 17:30 बजे तक समाप्त की जाती है । सभी ट्रैप टीम के सदस्यों, स्वतंत्र गवाहान व शिकायतकर्ता तथा आरोपी के नाम व पदनामः-

मनोज नैनवाल निरीक्षक/ट्रैप प्रभारी सतर्कता मु0 देहरादून।, पंकज पोखरियाल निरीक्षक सतर्कता मुख्यालय देहरादून आरक्षी अनूप रावत सतर्कता सैक्टर, देहरादून।
आरक्षी अशोक सतर्कता सैक्टर देहरादून महिला आरक्षी मन्सा सतर्कता मुख्यालय देहरादून श्री हार्दिक गुप्ता निवासी 80 केशव विहार, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून (शिकायतर्ता)।
श्री रजित कोटियाल सहायक अभियन्ता,नगर निगम, देहराद (स्वतन्त्र गवाह) श्री सहेन्द्र सिंह नेगी अवर अभियन्ता, नगर निगम देहरादून डा0 शशिकान्त दूबे (आरोपी) सहायक आयुक्त राज्य कर, सैक्टर-05, देहरादून
नोट- फर्द की नकल अभियुक्त को देकर हस्ताक्षर करवाये जाते है । डा0 शशिकान्त दूबे सहायक आयुक्त राज्य सैक्टर-05, देहरादून
नोट - मै अ.उ.नि. रघुवीर सिह चौहान प्रमाणित करता हुँ कि नकल फर्द शब्द व शब्द अकिंत की गयी ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Marutt Sah **Rank (पद):** निरीक्षक

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Name (नाम): RENU LOHANI

Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendant of Police)

No. (सं.):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1981		-		**चेचक:** नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** देहरादून **P.S. (थाना):** सतकर्ता सेक्टर देहरादून **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 12/07/2024 18:00 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day (दिन): शुक्रवार **Date from (दिनांक से):** 12/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 12/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 18:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/07/2024 **Time (समय):** 00:49 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/07/2024 00:49 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** दक्षिण, 84 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खानपुर,हरिद्वार

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** निरीक्षक श्री मनोज नैनवाल

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1971 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):** पुलिस अधिकारी

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना सतर्कता सैक्टर, देहरादून, सतकर्ता सेक्टर देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	थाना सतर्कता सैक्टर, देहरादून, सतकर्ता सेक्टर देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9690685400

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent address (स्थाई पता)
1	अयाजुद्दीन खण्ड शिक्षा अधिकारी खानपुर		पिता का नाम : मोयुजुद्दीन	1. ग्राम भैंसा,मवाना,मेरठ,उत्तर प्रदेश,भारत	1. फ्लैट न0 15,जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद,हरिद्वार ,सिडकुल,हरिद्वार, उत्तराखंड,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature of Property (संपत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		अभियुक्त द्वारा सराकरी कार्य के एवज में उत्कोच धनराशी दस हाजार रुपये लेते हुये रंगे हाथ पकडे जाना	10,000.00

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल - पोस्ट ट्रैप मैमो (POST TRAP MEMORANDUM)फर्द गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त व बरामदगी उत्कोच धनराशी 10,000/-रुपये (दस हजार रुपये) आज दिनांक 12-07-2024 को मैं ट्रैप प्रभारी निरीक्षक मनोज नैनवाल मय ट्रैप टीम, शिकायतकर्ता व मय स्वतन्त्र गवाहों के बाद प्री-ट्रैप कार्यवाही के सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय से रपट नम्बर 7 समय 12:52 बजे मैं ट्रैप टीम प्रभारी मनोज नैनवाल, निरीक्षक पंकज पोखरियाल, निरीक्षक ज्योति चौहान नेगी मुख्य आरक्षी अश्वनी कुमार, मुख्य आरक्षी विनोद रावत, म0आरक्षी मन्सा व स्वतन्त्र गवाह श्री सार्थक श्रीवास्तव पुत्र नवीन श्रीवास्तव निवासी एम-95 एम0डी0डी0 कालोनी कांवली रोड कोतवाली नगर देहरादून हाल सग्रंह अमीन राजस्व विभाग तहसील सदर देहरादून तथा स्वतन्त्र गवाह श्री सहज राम पुत्र श्री झब्बूलाल निवासी बद्रीपुर निकट नाईन पाम थाना नेहरु कालोनी (स्वतन्त्र गवाह) सग्रंह अमीन राजस्व विभाग तहसील सदर देहरादून शिकायतकर्ता श्री निर्दोष कुमार पुत्र श्री पल्टू सिंह निवासी दाबकी कलां,थाना लक्सर (हरिद्वार) हाल प्रधानाध्यापक,राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चन्दपुरी कलां (खानपुर) हरिद्वार के वाहन संख्या यू0के0 07 एफ0एम0 6889 मय चालक युद्ववीर मय वाहन संख्या यू0के0 07टी0बी0 7918 मय चालक रजनीश के व शिकायतकर्ता निर्दोष कुमार स्वयं के वाहन यू0के0 17 एन 5085 के सतर्कता सैक्टर देहरादून से रवाना होकर लक्सर हरिद्वार से कुछ किलो0मी0 पहले इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे, जहां पर शिकायतकर्ता द्वारा श्री अयाजुद्दीन को अपने मोबाईल फोन नं- 8006704614 से अयाजुद्दीन के मोबाईल नम्बर 9412945177 पर समय करीब 14:35 बजे फोन कर पूछा गया कि मैं आप से कहां पर आकर मिलूं तो उक्त द्वारा बताया गया कि खानपुर आफिस में बैठा हूं यही आ जाओ। शिकायतकर्ता द्वारा यह बात मुझ ट्रैप प्रभारी को बतायी गयी कि अयाजुद्दीन अपने उप

शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बैठे है और यह भी बताया गया कि श्री अयाजुद्दीन तेज किस्म के अधिकारी है जो मेरे साथ या आस पास अन्जान लोगों को देखकर शक होने पर रिश्वत की राशि नही लेगे, इस लिए मैं अकेला या शेडो गवाह सार्थक श्रीवास्तव को ही साथ लेकर भीतर जाऊंगा, जिस पर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा समस्त ट्रैप टीम को हिदायत की गयी कि सभी सावधानी से छुपाव बनाते हुए उप शिक्षा अधिकारी, खानपुर हरिद्वार के कार्यालय के नजदीक से नजदीक मौजूद रहेंगे तथा शेडो विटनेश सार्थक श्रीवास्तव को बताया कि वह शिकायतकर्ता के साथ रहेंगे तथा जब आरोपी अधिकारी अयाजुद्दीन शिकायतकर्ता से मांगने पर रिश्वत की धनराशि ग्रहण करेगा तो बाहर आकर सर पर हाथ घुमाकर इशारा करेंगे। समय 1530 बजे के करीब मैं टीम प्रभारी मय समस्त टीम के तुगलपुर रोड स्थित उप शिक्षा अधिकारी खानपुर के कार्यालय से पहले भगवान शंकर इण्टर कालेज के पास पहुंचे व वाहनों को वहीं छोड़कर शिकायतकर्ता व शेडो विटनेश से पर्याप्त दूरी बनाते हुये चलने लगे, शिकायतकर्ता शेडो विटनेश सहित कार्यालय के गेट से भीतर चला गया व समस्त ट्रैप टीम कार्यालय के बाहर मुख्य मार्ग पर कार्यालय की तरफ नजर रखते हुए खड़े थे। कुछ समय बाद शेडो विटनेश सार्थक श्रीवास्तव आरोपी के कक्ष से बाहर आये और सर के ऊपर हाथ घुमाते हुए इशारा किया, जिस पर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा मौके पर गोपनीय का कारण बताकर जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया तो भलाई बुराई के वजह से कोई भी तैयार नही हुआ अतः यथाशीघ्र मैं ट्रैप प्रभारी समस्त ट्रैप टीम सहित गवाह के इशारे को देखकर आरोपी के कार्यालय में मय विडियों रिकार्डिंग कैमरा मुख्य आरक्षी विनोद रावत के द्वारा करते हुए आरोपी के कार्यालय के भीतर प्रवेश किया गया व आरोपी को अपना व टीम का परिचय देते हुए शिकायतकर्ता से व गवाह से रिश्वत की राशि के सम्बन्ध में पूछा तो शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी द्वारा रिश्वत की धनराशि 10,000/-रुपये शिकायतकर्ता से अपनी सीट के बगल में रखे हुये स्टूल के ऊपर रखे आरोपी अयाजुद्दीन के अपने लैदर के डार्क ब्राउन बैग में रखवाये गये है। जिस पर मेरे द्वारा आरोपी अधिकारी को बैग के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि मेरा बैग है तथा रिश्वत की धनराशि के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया गया कि मैने शिकायतकर्ता निर्दोष कुमार को उधार 15,000/-रुपये दिये थे, जो आज उसने मुझे वापस किये है जो मैने गिने नही है बैग में रख दिये है, जिस पर उक्त को बैग से धनराशि निकालने को कहा गया तो आरोपी द्वारा अपने बगल में स्टूल पर रखे बैग को स्वयं उठाकर तथा उक्त की चैन खोलकर उसमें रखी शिकायतकर्ता द्वारा दी गयी उत्कोच धनराशि निकालकर टेबल पर पलट दी, आरोपी से बरामद धनराशि गिनने को कहा तो उनके द्वारा गिनने से इन्कार किया गया, जिस पर रिकवरी गवाह श्री सहज राम को टेबल पर फैली धनराशि बरामद कर गिनने को कहा गया, स्वतन्त्र गवाह द्वारा धनराशि को टेबल से उठाकर गिना गया जो 500/- रुपये के पावडर लगे 20 नोट कुल 10,000/- रुपये है जिनके सीरियल नम्बर का मिलान प्री-ट्रैप में अंकित किये गये नोटों के नम्बरों से किये गये तो वही भारतीय करेंसी के नोट हैं, जो निम्नवत हैः- 7TR 906053, 2UW03030, 3GL626850, OPL111333, 4BS441648, 0CG997404, IRN398446, OPL864430, 7FR592401, 8KV765677, 5HF404944, 5KV456207, 6KB032610, 2VE501654, 5VN286707, 1ST064832, OCB281774 , 2WA279998, 9MA614642, 2SN011391 जिन्हें समय 15:45 बजे करीब आरोपी द्वारा बरामद कराया गया है। बरामदगी सही पाते हुये मौके पर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा नोटों को कब्जे में लेकर टीम कर्मियों की सहायता से एक पीले लिफाफे में रखे गये। दौराने कार्यवाही आरोपी से पूर्ण नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अयाजुद्दीन पुत्र मौयुजुद्दीन निवासी ग्राम भैसा थाना मवाना, जिला मेरठ, उ0प्र0 हाल निवासी फ्लैट नम्बर 15 ज्वाहर नवोदय विद्यालय, रोशनाबाद हरिद्वार, उम्र लगभग 59 वर्ष मोबाईल नम्बर 9412945177 होना बताया। आरोपी से उत्कोच धनराशि की बरामदगी सम्बन्धी सूचना पुलिस अधीक्षक सतर्कता सैक्टर देहरादून को मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा अपने फोन से दी गयी। स्वतन्त्र गवाह श्री सहज राम से आरोपी की जामा तलाशी लिवाई गयी तो आरोपी द्वारा पहनी कमीज की जेब से 730/-रुपये की भारतीय मुद्रा व एक मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी जिसका IMEI1-356080121607396/01 बरामद हुआ। आरोपी के डार्क ब्राउन

लैदर बैग DZYER मार्का को स्वतन्त्र गवाहों के समक्ष चैक करने पर उक्त बैग में से उक्तकोच की धनराशि 10,000/-रुपये के अतिरिक्त बैग के भीतर रखे एक नीले रंग के MARUTI SHAKUMBARI Automobiles आदि लिखे पाऊच के अन्दर से 500/-रुपये के 58 नोट कुल 29,000/-रुपये भी बरामद हुये, जो आरोपी द्वारा बताया गया कि मैने अपने निजी कार्य हेतु रखे थे इसके अतिरिक्त उक्त बैग से ही आरोपी का 01 आधार कार्ड, 01 पहचान पत्र, 01 ड्राईविंग लाईसेन्स, 01गोल्डन कार्ड, 01 पेन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कार जिसका नम्बर यू0के0-07ए0पी0 5361 का इंशोरेन्स, फार्म-16 वर्ष 2024-25 बरामद हुये।आरोपी अयाजुद्दीन के हाथों को धोने की कार्यवाही की जाती है। जिसके लिए मुख्य आरक्षी अश्वनी कुमार से साफ काँच के गिलास में साफ पानी मंगाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसका घोल तैयार करवाकर आरोपी अयाजुद्दीन के दोनों हाथों को कलाई से नीचे उगलिंयों तक धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, इस घोल को कांच की शीशी में रखकर ढक्कन बन्द किया गया। इसी प्रकार प्रक्रिया को दोहराते हुए साफ पानी व सोडियम कार्बोनेट के घोल में शिकायतकर्ता निर्दोष कुमार व रिकवरी गवाह सहज राम के हाथों को धुलवाया गया तो पूर्वतः पानी का रंग गुलाबी हो गया, उक्त गुलाबी घोल को अलग-02 कांच की शीशीयों में रखकर ढक्कन बन्द किया गया। आरोपी से शिकायतकर्ता की सी0एम पोर्टल पर हुई शिकायत व उक्त शिकायत सम्बन्धी जांच पत्रावली के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो आरोपी द्वारा अपने कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी शीतला प्रसाद पटेल को मौके पर पत्रावली सहित बुलाया गया, जो पत्रावली सहित हाजिर हुये, पत्रावली को चैक किया गया तो पत्रावली पर पत्रांक 100-01 सी0एम0 हैल्प लाईन/2024-25 दिनांक 28-05-2024, अंकित है जिस पर आरोपी अयाजुद्दीन उप शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) खानपुर हरिद्वार द्वारा सगुंन चन्द्रपुरी कला खानपुर को पत्र प्रेषित है तथा पत्रावली में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) हरिद्वार का उप शिक्षा अधिकारी को पत्र, यू0के0 सी0एम0 हैल्प लाईन-1905 की कम्पलेन जो अयाजुद्दीन एल0-1 आफिसर को प्रेषित है से सम्बन्धित अभिलेख व प्रधानाचार्य अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कालेज पोडोवाली, खानपुर हरिद्वार। का खण्ड शिक्षा अधिकारी उप खण्ड शिक्षा अधिकारी को सी0एम0 हैल्प लाईन पर रा0प्रा0वि0 चन्दपुरी कला के प्रधानाध्यापक की गयी शिकायत की जांच आख्या से सम्बन्धित व अन्य पत्र संलग्न है। मूल पत्रावली की फोटो कापी सत्यापित रुप में प्रदान करने हेतु शीतला प्रसाद पुत्र अमर बहादुर निवासी होली क्रास स्कूल वाली गली लक्सर हरिद्वार हाल अण्डर ट्रासफर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पोखड़ा व प्रशासनिक अधिकारी मौजूदा कार्यालय को निर्देशित किया गया, जो स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति लेकर आये है, जो कब्जे मे ली गयी व मूल पत्रावली को इन्दूल तलब न्यायालय अथवा विवेचक प्रस्तुत करने हेतु हिदायत की गयी व फर्द लेने कब्जे दस्तावेज/पत्रावली की छायाप्रति अलग से तैयार कर समस्त ट्रैप टीम, स्वतन्त्र गवाहों,आरोपी व शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर कराये गये। प्रकरण के सम्बन्ध में आरोपी अयाजुद्दीन से पूछताछ से की गयी तो बताया कि जांच प्रचलित है यह पूछने पर कि आपके द्वारा इसी जांच को निपटाने के लिए शिकायतकर्ता से अवैध उत्कोच धनराशि 10,000/-रुपये की मांग की गयी थी, के जवाब में कोई संतुष्टि पूर्ण उत्तर नही दे रहै है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा आज उनके कार्यालय में मेरे साथ अन्दर आये स्वतन्त्र गवाह सार्थक श्रीवास्तव के साथ पहुंचने पर पहले गवाह को कमरे से बाहर जाने को कहा गया व उत्कोच की राशि 10,000/-रुपये मुझ से मांगे गये थे व इसी बीच गवाह को जिसे मैंने अपना सम्बन्धी होना बताया था उसे भी भीतर बुलाया तथा गवाह के समक्ष ही मुझसे अपने पास रखे लैदर के बैग में 10,000/-रुपये रखवाये थे। शिकायतकर्ता के इस कथन की गवाह सार्थक श्रीवास्तव द्वारा भी पुष्टि की गयी तथा यह भी कहा गया कि आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता से यह भी कहा जा रहा था कि सी0एम0 पोर्टल से छोटी मोटी शिकायते आती रहती है। तुम अपने आदमी हो मैं देख लूंगा। कार्यवाही के दौरान मौके पर कब्जे में लिये गये रिश्वत की धनराशि के बरामदा नोट जिस पैकेट में रखे गये है उक्त पैकेट व हाथ धोवन की अलग-अलग गुलाबी घोल की शीशीयों को नियमानुसार नामवार सील सर्वे मोहर करते हुए नमूना मोहर कर्मचारियों की मदद से किया गया व विवरण अंकित करते हुए चिटबन्दी की

गयी तथा नोट के पैकेट पर R-1, व आरोपी के हाथ धोवन माल शीशी पर R-2, शिकायतकर्ता के हाथ धोवन पर शीशी पर R-3 व स्वतन्त्र गवाह रिकवरी विटनेस सहज राम के हाथ धोवन शीशी पर R-4 अंकित किया गया। बरामदा लैदर बैग रंग डार्क ब्राउन जिस पर DZYRE लिखा हुआ है। उक्त बैग से आरोपी द्वारा उत्कोच की धनराशि 10,000/-रुपये निकालकर बरामद करायी गयी है, जो कि महत्वपूर्ण केस प्रोपर्टी है अतः उक्त लैदर बैग में जो सामान 29,000/- रुपये सहित बरामद हुआ है उसी बैग में रखते हुए बैग को एक सफेद कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर नमूना मोहर बनाया गया व चिटबन्दी की गयी। जिस पर R-5 अंकित किया गया। माल जामा तलाशी 730/-रुपये व मोबाईल को अलग से थाना दाखिल किया जायेगा। शिकायतकर्ता को दिया गया वाईस रिकार्डर वापस लिया गया तथा उसमें मौके के रिकार्डिंग को चैक किया गया तो रिकार्डर में कुछ भी रिकार्ड नही हो पाया शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि घबराहट में वह रिकार्डर को ठीक से आपरेट नही कर पाया था। आरोपी अयाजुद्दीन शिक्षा अधिकारी, खानपुर से अपनी सफाई देने को कहा गया तो कोई सही जवाब नही दे पा रहे हैं,तथा उत्कोच धनराशि को स्वयं द्वारा शिकायतकर्ता को दिये गये उधार की धनराशि वापस प्राप्त होना बता रहै है परन्तु उधारी के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नही किया गया है। आरोपी अयाजुद्दीन का यह जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधि0 2018) की हद तक पहुंचता है। उक्त आरोपी को उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए सम्पूर्ण पूछताछ के पश्चात समय करीब 18:00 बजे हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी मैमो मौके पर तैयार कर ट्रैप टीम के सभी सदस्यों, स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता तथा आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा गिरफ्तारी की सूचना हस्व ख्वाहिस अभियुक्त की पत्नी श्रीमती शुमी के मो0नं0 9897147618 पर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा अपने मो0नं0 9690685400 से समय करीब 18:06 बजे दी गयी। सूचना मैमो बनाया गया।पोस्ट ट्रैप में अभियुक्त की गिरफ्तारी व अभियुक्त से बरामदगी सम्बन्धी आडियों विडियों रिकार्डिंग को सरकारी हैण्डी कैमरे से एक सी0के0 16 मार्का एस0डी0 कार्ड पर रिकार्ड कर सेव किया गया है, जिसे सरकारी लैपटॉप पर विवेचक की सुविधा हेतु सेव किया गया, जिसका लोकेशन PATH USB DRIVE (I:)/ PRIVATE/AVCHD/BDMV / STREAM जिसमें फाईल नेम 00000 से फाईल नेम 00047 तक विडियो फाईल MTS TYPE सेव है। तथा USB DRIVE(I:) /DCIM /FILE NAME DSC00673- फाईल नेम DSC00749 तक FILE TYPE JPG सेव है। एस0डी0 कार्ड को बाद कार्यवाही सिल्वर फोइल में रखकर एक प्लास्टिक की डिब्बी में रखा गया डिब्बी को एक पीले रंग के लिफाफे में रखकर सील सर्वे मोहर नमूना मोहर बनाया गया विवरण अंकित करते हुए समस्त ट्रैप टीम, स्वतन्त्र गवाहन व शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर कराये गये, जिस पर R-6 अंकित किया गया।सम्पूर्ण कार्यवाही शिकायतकर्ता की तहरीर, प्रारम्भिक जांच एवं फर्द बरामदगी उत्तकोच धनराशी से प्रथम दृष्टिया गिरफ्तार शुदा अभियुक्त अयाजुद्दीन का जुर्म धारा 7 भ्र0नि0अधि0 1988 संशोधित अधि0 2018 का होना पाया गया। फर्द बरामदगी म0कानि0 मन्सा से बोल बोलकर सरकारी लैपटाप पर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा टाईप करवाई गयी, जिसे पढ़कर समस्त ट्रैप टीम, स्वतन्त्र गवाहों, आरोपी व शिकायतकर्ता को सुनवाया गया फर्द की प्रिन्ट कापी प्रिन्टर के माध्यम से निकाली गयी व हस्ताक्षर कराये गये। ट्रैप की कार्यवाही दिनांक 12-07-2024 समय करीब 20:30 बजे तक समाप्त की जाती है । सभी ट्रैप टीम के सदस्यों, स्वतंत्र गवाहान व शिकायतकर्ता तथा आरोपी के sd नाम व पदनामः- मनोज नैनवाल निरीक्षक ट्रैप प्रभारी सतर्कता मु0 देहरादून ।, sd पंकज पोखरियाल निरीक्षक सतर्कता मुख्यालय देहरादून , sd ज्योति चौहान नेगी निरीक्षक सतर्कता सैक्टर देहरादून sd मुख्य आरक्षी अश्वनी कुमार सतर्कता सैक्टर देहरादून sd मुख्य आरक्षी विनोद रावत सतर्कता सैक्टर देहरादून । sd महिला आरक्षी मन्सा सतर्कता मुख्यालय देहरादून sd श्री सार्थक श्रीवास्तव संग्रह अमीन,तहसील सदर देहरादून sd श्री सहज रामसंग्रह अमीन,तहसील सदर देहरादून sd श्री निर्दोष कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक,राजकीय प्राथमिक चन्दपुरी कलाखानपुर हरिद्वार।नोट- फर्द की नकल अभियुक्त को देकर हस्ताक्षर करवाये जाते है । sd (आरोपी) श्री अयाजुद्दीन पुत्र मोयुजुद्दीन हाल उप शिक्षा अधिकारी/ खण्ड शिक्षा अधिकारी, खानपुर हरिद्वार। sd

(मनोज नैनवाल) निरीक्षक sd अग्रेजी अपठित
नोट- मै अपर उ0नि0 रधुवीर सिंह प्रमाणित करता हुँ कि पोस्ट ट्रैप की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टंकण की गयी है कोई शब्द घटाया वडाया नही गया है ।

अपर उ0नि0 रधुवीर सिंह चौहान
थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** BACHAN SINGH RANA **Rank (पद):** निरीक्षक

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RENU LOHANI

Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendant of Police)

No. (सं.):

14.

Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	पुरुष	1966				**चेचक:** हां

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** देहरादून **P.S. (थाना):** सतकर्ता सेक्टर देहरादून **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 21/05/2024 23:09 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	7

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day (दिन): मंगलवार **Date from (दिनांक से):** 21/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 21/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/05/2024 **Time (समय):** 23:09 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 014 **Date and Time (दिनांक और समय):** 21/05/2024 23:09 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व, 195 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): राज होटल पैठाणी पौढ़ी गढ़वाल,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(a) **Name (नाम):** BACHAN SINGH RANA

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 01/05/1977

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Vigilance Establishment, सतकर्ता सेक्टर देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
2	वर्तमान पता	Vigilance Establishment, सतकर्ता सेक्टर हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड, भारत
3	स्थायी पता	Vigilance Establishment, सतकर्ता सेक्टर देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9411111104

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent address (स्थाई पता)
1	हंसराम पन्त		पिता का नाम : कीरतराम	1. कार्यालय लिविल एंव सोयम वन,प्रभाग पाबो रेन्ज सेक्सन,चाकी सैण,पैठानी,पौड़ी गढ़वाल,उत्तराखंड,भारत 2. ग्राम टीला,पैठानी,पौड़ी गढ़वाल,पैठानी,पौड़ी गढ़वाल,उत्तराखंड,भारत	1. ग्राम टीला,पैठानी,पौड़ी गढ़वाल,पैठानी,पौड़ी गढ़वाल,उत्तराखंड,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature of Property (संपत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		अभियुक्त के कब्जे से अत्कोच की धनराशी 15,000/ रुपये बरामद होना	15,000.00

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल पोस्ट ट्रेप - पोस्ट ट्रैप मैमो (POST TRAP MEMORANDUM) फर्द गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त व बरामदगी उत्कोच धनराशी 15,000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) आज दिनांक 21-05-2024 को मैं ट्रैप प्रभारी निरीक्षक बचन सिंह राणा मय ट्रैप टीम, शिकायतकर्ता व मय स्वतन्त्र गवाहों के बाद प्री-ट्रैप कार्यवाही के पैठाणी मैन बाजार में स्थित राज होटल के कमरा नम्बर 4-एन से पैठाणी एस0बी0आई0 बैंक के पास टीम वार पहुंचे। शिकायतकर्ता द्वारा वन दरोगा हंसराम पन्त से समय करीब 11:27AM फोन कर बात की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं राज होटल की तरफ आ रहा हूं। इस पर शिकायतकर्ता होटल राज के भीतर जहाँ लोग बैठकर खाना व चाय पानी ले रहै थे वहीं एक खाली टेबल के पास बैठ गया। जिसके आस-पास शेडो विटनेश श्री कमलेश भण्डारी भी छुपाव करते हुये बैठ गये और अन्य टीम भी छुपाव कर नजर रखने लगी समय करीब 11:40 एक व्यक्ति शिकायतकर्ता के पास आकर बैठ गया व शिकायतकर्ता से बात करने लगा। मै व टीम के सदस्य भी अगल बगल की खाली कुर्सियों पर बैठकर शिकायतकर्ता व आरोपी पर नजर रखते हुए उनकी बातों को सुनने लगे, शिकायतकर्ता द्वारा उक्त व्यक्ति से अनुदान सम्बन्धी बाते बकरी खरीदने को लेकर की गयी व व्यक्ति द्वारा उसे विभिन्न तरह से योजना के बारे में बताया गया व इसी बीच उस व्यक्ति द्वारा शिकायतकर्ता से उसको मिली अनुदान की धनराशि में से अवैध लाभ के रुप में 30,000/-रुपये देने को कहा गया, जिसपर शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके पास पूरे पैसे नही है बाकि के पैसे बाद में दे देगा, जिस पर उसके द्वारा 15,000/- रुपये आरोपी वन दरोगा हंसराम पन्त को मांगने पर दिये गये, जिन्हें उसके द्वारा दोनों हाथों से गिना गया। तभी समय करीब 12:00 बजे दोपहर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा एकदम टीम सहित घेर घोटकर आरोपी को अपना परिचय देते हुए आरोपी के दाहिना, बांया हाथ मुख्य आरक्षी विनोद रावत व अश्वनी शर्मा द्वारा पकड़ लिये गये, जिनमें आरोपी द्वारा अवैध लाभ की धनराशि पकडी हुयी थी। मेरे द्वारा होटल में मौजूद व आस-पास के लोगों मे से जनता की गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया तो आरोपी के स्थानीय व सरकारी विभाग से जुड़े होने के कारण भलाई बुराई का कारण व अपने-अपने कार्य की जल्दबाजी का कारण बताते हुए कोई भी तैयार नही हुये, होटल मालिक श्री राजेन्द्र रौथाण पुत्र पान सिंह रौथाण निवासी पैठाणी, जिला पौड़ी गढ़वाल से भी गवाही हेतु कहा गया तो स्थायी होने व आपसी दुश्मनी हो जाने के भय से गवाही से इनकार किया गया। इस पर मेरे द्वारा रिकवरी विटनेश जगदीश सिंह को अवैध राशी बरामद करने हेतु कहा गया तो उक्त द्वारा आरोपी के हाथ से धनराशि बरामद की गयी व बरामद धनराशि को गिना गया तथा बरामदा धनराशि की संख्याओं का मिलान किया गया तो प्री-ट्रैप में अंकित संख्याओं से मिलान सही पाया गया, जो निम्न प्रकार है।

6WW722039 6WW722040 6WW722041 6WW722042 6WW722043 6WW722044 6WW722045
6WW722046 6WW722048 6WW722049 6WW719637 6WW719638 6WW719639 6WW719640
6WW719641 6WW719642 6WW719643 6WW719644 6WW719645 6WW719646 7QR407027
9TR841439 7QR667176 1RP706028 9DH413647 6RE281503 6WW603934 6WW603933
3UR722193 3UR722192

उपरोक्त 500/-रुपये के 30 नोट फिनाफ्थलीन लगे वही नोट है, जो प्री-ट्रैप के दौरान अंकित किये गये थे।

नोटों को गिनकर एक पीले लिफाफे में रखकर सील सर्वे मोहर मय नमूना मोहर किया गया, जिस पर समस्त ट्रैप टीम, शिकायतकर्ता व आरोपी व स्वतन्त्र गवाहों के हस्ताक्षर कराये गये। जिस पर प्रदर्श R-2 अंकित किया गया। शिकायतकर्ता से दिया गया रिकार्डर जिसमें उसके द्वारा मौके की रिकार्डिंग होना बताया गया स्वीच ऑफ करते हुये वापस लिया गया।

तदोपरान्त वह व्यक्ति जिसने अपना नाम नाम हंसराम पन्त पुत्र कीर्ति राम पन्त निवासी ग्राम टीला पो0टीला थाना पैठाणी, जिला पौड़ी गढ़वाल होना बताया है। उक्त आरोपी के पाउडर लगे हाथों को धोने की कार्यवाही की जाती है। जिसके लिए मुख्य आरक्षी विनोद रावत से साफ काँच के गिलास में साफ पानी मंगाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसका घोल तैयार कर आरोपी हंसराम पन्त के दोनों हाथों की उगलिंयों को धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, इस घोल को कांच की शीशी में रखकर ढक्कन बन्द कर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी की गयी तथा नमूना मोहर तैयार किया गया, जिस पर सभी ट्रैप टीम के सदस्यों व स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता व अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये, जिस पर प्रदर्श R-3 अंकित किया गया। पुनः मुख्य आरक्षी विनोद रावत से एक गिलास में साफ पानी भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसका घोल तैयार कर स्वतन्त्र गवाह रिकवरी विटनेश श्री जगदीश सिंह के हाथ की उगलिंयों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो सोडियम कार्बोनेट के रंगहीन घोल में हाथ डुबोने पर रंग हीन पानी का रंग गुलाबी हो गया। इस गुलाबी रंग के घोल को भी साफ काँच की शीशी में रखकर ढक्कन बन्द कर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी की गयी तथा नमूना मोहर तैयार किया गया, जिस पर ट्रैप टीम के सभी सदस्यों व स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता व आरोपी के हस्ताक्षर बनवाये गये। जिस पर प्रदर्श R4 अंकित किया गया। इसके उपरान्त पुनः मुख्य आरक्षी विनोद रावत से एक साफ कांच की गिलास में साफ पानी भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसका घोल तैयार कर शिकायतकर्ता लखपत सिंह के हाथ की उगलिंयों को धुलवाया गया तो सोडियम कार्बोनेट के रंग हीन घोल में हाथ डूबोने पर रंगहीन पानी का रंग गुलाबी हो गया इस गुलाबी रंग के घोल को साफ काँच की शीशी में रखकर सील सर्वे मोहर कर चिटबन्दी कर नमूना मोहर तैयार किया गया, जिस पर सभी ट्रैप टीम के सदस्यों व स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता व आरोपी के हस्ताक्षर बनवाये गये । जिस पर प्रदर्श R5 अंकित किया गया। आरोपी हंसराम पन्त से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि मैं वर्तमान में वन दरोगा के पद पर कार्यालय सिविल एंव सोयम वन प्रभाग, पाबों रेंन्ज, सैक्शन चाकीसैंण, पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 2020 से नियुक्त हूं। मेरा काम क्षेत्र गस्त करना, वनों में पेंड़ो की कटान व खनन को रोकना, सरकार की योजना को लोगों में सरपंच के साथ मिलकर बताना है। मैं वन पंचायत समिति का सचिव भी हूं , बकरी पालन हेतु अनुदान की योजना सिविल सोयम वन प्रभाग की योजना 2023 में शुरु हुयी थी जो फरवरी –मार्च 2024 तक चली थी, उसी योजना के अन्तर्गत सरपंच की संस्तुति पर डोबरी गांव के 05 लाभार्थियों का चयन हुआ था, जिसमें लखपत सिंह भी था जिसके खाते में 50,000/-रुपये आये थे, जो अनुदान के रुप में है, जिन्हें वापस नही किया जाता है। मैने 30,000/-रुपये वापस करने की बात लखपत सिंह से कही है जिसकी मैं सफाई नही दे सकता। आरोपी की तलाशी मेरे द्वारा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष लिवाई गयी तो आरोपी के हाथ में पकड़े बैग से विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित रजिस्ट्रर, स्टाम्प रबड़ मोहर जिन पर सचिव वन पंचायत, अध्यक्ष वन विकास अधिकरण टीला, सचिव वन विकास अभिकरण, अध्यक्ष ग्राम समिति, वन पंचायत सचिव, सचिव ग्राम व वन समिति अध्य़क्ष वन पंचायत समिति, सचिव ग्रीन इण्डिया लिखा है मिली व एक पैड, एक आधार कार्ड 547498438232 हंसराम पन्त के स्वयं का व 590/-रुपये कैश व एक मोबाईल की पैड फोन कम्पनी नोकिया मय सिम के मिले। इसके अतिरिक्त वन दरोगा की वर्दी के सोल्डर फ्लैप जिस पर दो सितारे बने है व एक नीले रंग की उत्तराखण्ड फोरेस्ट के लोगो वाली कैप बरामद हुयी है। जामा तलाशी हस्व इच्छा आरोपी सम्बन्धित व्यक्ति को सुपुर्द की जायेगी। तत्पश्चात शिकायतकर्ता श्री लखपत सिंह को दिये गये, आडियो रिकोर्डर सोनी रंग काला जिसका सीरियल न0 1098106 मय मैमोरी कार्ड SANDISK

ultra 32 जी0वी0 को सरकारी लैप टाप पर लगाकर उसमें मौजूद उत्कोच के लेनदेन से सम्बन्धित वार्तालाप की रिकोर्डिग को स्वतन्त्र गवाहान, समस्त ट्रैप टीम ,शिकायतकर्ता व अभियुक्त के समक्ष सुना गया, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आवाज व आरोपी द्वारा अपने आवाज की पुष्टि की गयी वार्तालाप में आरोपी हंस राम पन्त द्वारा शिकायतकर्ता लखपत सिंह से दिये गये 50,000/- रुपये की अनुदान में से ऋण वापसी के नाम पर 30,000/-रुपये की मांग की गई साथ ही बताया कि अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋण का पैसा जमा कर दिया गया है और शिकायतकर्ता से 30,000/-रुपये की मांग करते हुए बताया कि ऐसे ही उसका पैसा जमा होगा तो उसका बैनर एवं जी0पी0एस0 कर दिया जायेगा। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि अभी उसके पास 15,000/-रुपये ही है बाकि पैसा कुछ दिनों में दे देगा इस पर हंसराम पन्त द्वारा अभी 20,000/-रुपये की मांग की गयी परन्तु शिकायतकर्ता ने अभी 15,000/-रुपये है का हवाला देते हुए आरोपी को 15,000/-रुपये दे देने सम्बन्धी बातचीत रिकार्डेड है। उक्त रिकार्डिंग का पाथ USB(I:) PRIVATE/SONY/REC-FILE/FOLDER-01-240521-1139 Size-10.2MB Created-21 may 2024 11:39:14 फाईल टाईप एम0पी0-3 है। उत्कोच सम्बन्धी रिकार्डेड वार्तालाप फाईल की कापी कर सरकारी लैपटाप पर अग्रेत्तर विवेचना हेतु सुरक्षित की गयी व रिकार्डर में से मैमौरी कार्ड SanDisk 32 जी0बी0 को निकालकर एक सिल्बर फोयल में लपेटकर उक्त को प्लास्टिक के डिब्बी में रखा गया जिसे पीले रंग के लिफाफे में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया विवरण लिफाफे पर अंकित किया गया, जिस पर ट्रैप टीम के समस्त सदस्यों, स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता व आरोपी के हस्ताक्षर बनवाये गये। जिस पर प्रदर्श R-6 अंकित किया गया आरोपी हंसराम पन्त से अपनी सफाई देने को कहा गया तो कोई सही जवाब नही दे पा रहा है, उपरोक्त का यह जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधि0 2018) की हद तक पहुंचता है। उक्त आरोपी को उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए सम्पूर्ण पूछताछ के पश्चात समय करीब 14:00 बजे हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी मैमो मौके पर तैयार कर ट्रैप टीम के सभी सदस्यों, स्वतन्त्र गवाहों व शिकायतकर्ता तथा आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा गिरफ्तारी की सूचना हस्व ख्वाहिस अभियुक्त के पुत्र योगेश पन्त को उसके मो0नं0 9548336932 पर मुझ ट्रैप प्रभारी के मो0नं0 9411111104 से समय करीब 14:13 बजे दी गयी।शिकायतकर्ता श्री लखपत सिंह द्वारा अपने एस0बी0आई0 बैंक, पैठाणी के खाता संख्या 41772711657 के दिनांक 01-01-2024 से दिनांक 30-04-2024 तक का स्टेटमेन्ट उपलब्ध करायी गयी जिसमें दिनांक 14-03-2014 को उक्त के खाते में एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से वन पंचायत के माध्यम से 50,000/-रुपये क्रेडिट होना दर्शित है। उक्त स्टेटमेन्ट की प्रति कब्जे में ली गयी। उक्त द्वारा बताया गया कि यह वही अनुदान राशि है जो उसे वन दरोगा हंसराम पन्त द्वारा फार्म भरकर बकरी पालन हेतु दिलवाये गये है। सम्पूर्ण कार्यवाही शिकायतकर्ता की तहरीर, प्रारम्भिक जांच एवं फर्द बरामदगी उत्तकोच धनराशी से प्रथम दृष्टिया गिरफ्तार शुदा अभियुक्त हंसराम पन्त का जुर्म धारा 7 भ्र0नि0अधि0 1988 संशोधित अधि0 2018 का होना पाया गया। फर्द बरामदगी म0कानि0 मन्सा से बोल बोलकर सरकारी लैपटाप पर मुझ ट्रैप प्रभारी द्वारा टाईप करवाई गयी, जिसे पढ़कर समस्त ट्रैप टीम, स्वतन्त्र गवाहों, आरोपी व शिकायतकर्ता को सुनवाया गया फर्द की प्रिन्ट कापी प्रिन्टर के माध्यम से निकाली गयी व हस्ताक्षर कराये गये। ट्रैप की कार्यवाही दिनांक 21-05-2024 समय करीब 15:35 बजे तक समाप्त की जाती है । सभी ट्रैप टीम के सदस्यों, स्वतंत्र गवाहान व शिकायतकर्ता तथा आरोपी के नाम व पदनामः- बचन सिंह राणा निरीक्षक/ट्रैप प्रभारी सतर्कता मु0 देहरादून।,पंकज पोखरियाल निरीक्षक सतर्कता मुख्यालय देहरादून मुख्य आरक्षी अश्वनी शर्मा सतर्कता सैक्टर, देहरादून। मुख्य आरक्षी विनोद रावत सतर्कता सैक्टर देहरादून महिला आरक्षी मन्सा सतर्कता मुख्यालय देहरादून श्री लखपत सिंहनिवासी डोबरी तहसील चाकीसैण , पौड़ी गढवाल। शिकायतकर्ता श्री कमलेश भण्डारीअपर सांख्यिकी अधिकारी, पशुपालन विभाग, जनपद देहरादून। (स्वतंत्र गवाह)। श्री जगदीश सिंह वरिष्ठ सहायक बाल विकास विभाग, जनपद देहरादून।(स्वतंत्र गवाह) नोट- फर्द की नकल अभियुक्त को देकर हस्ताक्षर करवाये जाते है । हंसराम पन्त

वन दरोगा कार्यालय सिविल एंव सोयम वन प्रभाग,पाबों रेंन्ज, सैक्शन चाकीसैंण, पौड़ी गढ़वाल नोट मै है.कानि.सुरेन्द्र सिह प्रमाणित करता हू कि पोस्ट ट्रेप की नकल शब्द व शब्द टकण की गयी ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Tushar Bora **Rank (पद):** निरीक्षक

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Dhirandra Singh Gunjiyal

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No. (सं.):

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1969				चेचक: हां

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)